



अपने ग्राहक को जानें और धन शोधन निवारण नीति

संशोधन/परिवर्तन इतिहास

रचयिता	समीक्षक	संस्करण संख्या।	प्रभावी तिथि	विवरण बदलें
प्रमुख - संचालन	बीओडी	1	06.08.2011	6.8.2011 से स्वीकृत
प्रमुख - संचालन	बीओडी	1.1	01.10.2013	01.10.2013 को बोर्ड द्वारा समीक्षा की गई
प्रमुख - संचालन	बीओडी	1.2	11.11.2015	11.11.2015 को बोर्ड द्वारा समीक्षा की गई
प्रमुख - संचालन	बीओडी	1.3	25.07.2017	25.07.2017 को बोर्ड द्वारा समीक्षा की गई
प्रमुख - संचालन	सीईओ	1.4	10.05.2018	10.05.2018 को बोर्ड द्वारा समीक्षा की गई
प्रमुख - संचालन	सीईओ	1.5	27.04.2019	27.04.2019 को बोर्ड द्वारा समीक्षा की गई
प्रमुख - संचालन	सीईओ	1.6	11.07.2020	11.07.2020 को बोर्ड द्वारा समीक्षा की गई

प्रमुख - संचालन	सीईओ	1.7	08.02.2021	08.02.2021 को बोर्ड द्वारा समीक्षा की गई
प्रमुख - संचालन	सीईओ	1.8	30.04.2022	30.04.2022 को बोर्ड द्वारा समीक्षा की गई
प्रमुख - संचालन	सीईओ	1.9	28.04.2023	यूसीआईसी के रूप में एक नया खंड 3.14 डाला गया और प्रधान अधिकारी में परिवर्तन किया गया।
प्रमुख - संचालन	सीईओ	2	19.6.2023	खंड 'समतुल्य ई-दस्तावेज' में संशोधन। ग्राहक स्वीकृति नीति के अंतर्गत नए खंड शामिल किए गए हैं। ग्राहक उचित परिश्रम आवश्यकताओं और सीएफटी में संशोधन।
प्रमुख - संचालन	सीईओ	2.1	2.11.2023	17 अक्टूबर, 2023 के केवाईसी पर मास्टर निर्देश में संशोधन के अनुरूप नीति की समीक्षा की
प्रमुख - संचालन	सीईओ	2.2	07.11.2024	• वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी) के तहत हटाए गए "एमएचएफसीएल केवल पहचान के लिए आधार का ऑफ़लाइन सत्यापन कर सकता है"
				"एमएचएफसीएल डिजिटल और भौतिक यात्रा के दौरान पहचान के लिए आधार का ऑनलाइन और ऑफ़लाइन सत्यापन कर सकता है।
				• वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी) के तहत आरबीआई-केवाईसी मास्टर निर्देश के अनुसार खंड भी शामिल किए गए हैं
				वी-सीआईपी करने वाले एमएचएफसीएल के अधिकृत अधिकारी ऑडियो-वीडियो रिकॉर्ड करने के साथ-साथ पहचान के लिए मौजूद ग्राहक की तस्वीर भी लेंगे और निम्नलिखित में से किसी एक का उपयोग करके पहचान जानकारी प्राप्त करेंगे:
				क) ओटीपीआधारित आधार ई-केवाईसी प्रमाणीकरण
				ख) पहचान के लिए आधार का ऑफ़लाइन सत्यापन
				ग) ग्राहक द्वारा प्रदान किए गए केवाईसी पहचानकर्ता का उपयोग करते हुए, धारा 56 के अनुसार, सीकेवाईसीआर से डाउनलोड किए गए केवाईसी रिकॉर्ड
				घ) डिजिटलॉकर के माध्यम से जारी किए गए दस्तावेजों सहित आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों (ओवीडी) के समतुल्य ई-दस्तावेज।
				• वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी) के तहत डिजिटलॉकर के माध्यम से पैन सत्यापन शामिल किया गया
				- लेन-देन की मॉनीटरिंग में 6 महीने में एक बार जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा निगरानी शामिल है।
प्रमुख - संचालन	सीईओ	2.3	05.02.2025	• अभिलेखों का संरक्षण- डीमैट खातों के लिए रिकॉर्ड संरक्षण की समय-सीमा शामिल है।
				यूसीआईसी स्तर पर लागू की जाने वाली ग्राहक उचित परिश्रम (सीडीडी) प्रक्रियाएं। इस प्रकार, यदि कोई मौजूदा केवाईसी अनुपालन करने वाला ग्राहक एमएचएफसीएल के साथ कोई अन्य खाता खोलता है या किसी अन्य उत्पाद या सेवा का लाभ उठाता है, तो जहां तक ग्राहक की पहचान का संबंध है, तो नए सीडीडी अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

				· सीडीडी प्रक्रिया के तहत और केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) के साथ केवाईसी जानकारी साझा करने के तहत, निम्नलिखित पैरा जोड़ा गया है: इसके अलावा, जब भी एमएचएफसीएल पीएमएल नियमों के इस पैराग्राफ या नियम 9 (1 सी) में नीचे दिए गए खंड (जे) के अनुसार किसी भी ग्राहक से अतिरिक्त या अद्यतन जानकारी प्राप्त करता है, तो एमएचएफसीएल सात दिनों के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जा सकती है, सीकेवाईसीआर को अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करेगा, जो सीकेवाईसीआर में मौजूदा ग्राहक के केवाईसी रिकॉर्ड को अपडेट करेगा। इसके बाद सीकेवाईसीआर इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन सभी रिपोर्टिंग संस्थाओं को सूचित करेगा, जिन्होंने उक्त ग्राहक के केवाईसी रिकॉर्ड को अपडेट करने के संबंध में संबंधित ग्राहक के साथ व्यवहार किया है। एक बार जब सीकेवाईसीआर मौजूदा ग्राहक के केवाईसी रिकॉर्ड में अपडेट के बारे में एमएचएफसीएल को सूचित करता है, तो एमएचएफसीएल सीकेवाईसीआर से अपडेट किए गए केवाईसी रिकॉर्ड को पुनः प्राप्त करेगा और एमएचएफसीएल द्वारा बनाए गए केवाईसी रिकॉर्ड को अपडेट करेगा। · सीडीडीसीडीडी प्रक्रिया के अंतर्गत और केंद्रीय केवाईसी अभिलेख रजिस्ट्री (केवाईसीसीकेवाईसीआर) के साथ केवाईसी जानकारी साझा करना, मौजूदा उप-बिंदुओं को निम्नलिखित के साथ बदल दिया गया है: (i) ग्राहक की सूचना में परिवर्तन हुआ है जैसा कि सीकेवाईसीआर के अभिलेखों में मौजूद है; या (ii) प्राप्त केवाईसी रिकार्ड अथवा प्राप्त सूचना अधूरी है अथवा वर्तमान में लागू केवाईसी मानदंडों के अनुसार नहीं है; या (iii) डाउनलोड किए गए दस्तावेजों की वैधता अवधि समाप्त हो गई है; या (iv) एमएचएफसीएल ग्राहक की पहचान या पते (वर्तमान पते सहित) को सत्यापित करने या संवर्धित उचित परिश्रम करने या ग्राहक के लिए एक उपयुक्त जोखिम प्रोफाइल बनाने के लिए आवश्यक समझता है।
प्रमुख - संचालन	सीईओ	2.4	05.08.2025	'ग्रुप-वाइड धन शोधनधन शोधन निवारण (एएमएल) पॉलिसी' पर एक नया खंड डाला गया।
प्रमुख-संचालन	सीईओ	2.5	27.09.2025	'केवाईसी के आवधिक अद्यतन' के तहत निम्नलिखित पैरा डाला गया है- री-केवाईसी आवश्यकताओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए, सिस्टम उन ग्राहकों के लिए अलर्ट उत्पन्न करने के लिए सुसज्जित है, जिनका री-केवाईसी निर्धारित नवीनीकरण तिथि के एक वर्ष के भीतर देय है। इसके अतिरिक्त, ऐसे ग्राहकों को एसएमएस सूचनाएं भेजी जाएंगी, जिसमें उन्हें किसी भी नए ऋण का लाभ उठाने या कंपनी के साथ आगे लेनदेन करने के लिए अपना केवाईसी नवीनीकरण पूरा करने की सलाह दी जाएगी।
प्रमुख-संचालन	सीसीओ	2.6	25.05.2026	खंड 3.24 — समूह - समान वैधानिक आधार, लेकिन एक नया स्पष्टीकरण यह स्पष्ट करते हुए जोड़ा गया है कि, इस नीति के लिए, 'समूह' = मुथूट पप्पचन समूह और समूह के वित्तीय विवरणों में समेकित सभी संस्थाएं शामिल हैं - विशेष रूप से

				आरबीआई-विनियमित संस्थाएं एमएफएल, एमएचएफसीएल और समूह के भीतर कोई अन्य विनियमित इकाई। नए ग्रुप-वाइड एएमएल सेक्शन को एंकर करता है।
				अध्याय III - तृतीय-पक्ष ईएमआई/पूर्व-भुगतान/फौजदारी भुगतान (नया) - रिश्तेदारों, परिवार, नियोक्ताओं या किसी तीसरे पक्ष द्वारा भुगतान को कवर करने वाला एक नया उप-खंड डाला गया है
				अध्याय VI भाग V (B.1) - पते में परिवर्तन - काफी सख्त: • नए पते की स्व-घोषणा प्राप्त की गई। - एमएचएफसीएल अपने विकल्प पर ओवीडी/डीमड ओवीडी प्राप्त कर सकता है। • "पते में कोई भी बदलाव एक नए ग्राहक को शामिल करने के बराबर एक पूर्ण री-केवाईसी प्रक्रिया को ट्रिगर करेगा।
				अध्याय VI भाग V (B.4) का जोड़ - संचार और सूचना प्रक्रिया
				अध्याय VI भाग V (B.4) - अब औपचारिक 3-सूचना + 3-अनुस्मारक अनुसूची में एम्बेडेड है
				अनुलग्नक IV - संदिग्ध लेनदेन की सांकेतिक सूची (विभाजित) - पुनः क्रमांकित (अब अनुलग्नक IV) और दो अलग-अलग प्रमुखों में विभाजित: • क. आवास ऋण से संबंधित संदिग्ध लेनदेन (बरकरार सूची) • ख. बिल्डर/परियोजना ऋण से संबंधित संदिग्ध लेनदेन (डेवलपर/परियोजना वित्त पक्ष के लिए लाल झंडों का एक अलग सेट)
				समूह-व्यापी एएमएल नीति अनुभाग + संशोधित समूह परिभाषा (3.24) - मूल लिंकेज: खंड 3.24 के तहत नए स्पष्टीकरण के साथ मिलकर, समूह को अब स्पष्ट रूप से मुथूट पप्पचन समूह के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें एमएफएल, एमएचएफसीएल और अन्य आरबीआई-विनियमित संस्थाएं शामिल हैं। समूह संस्थाओं के बीच सूचना-साझाकरण दायित्व में अब एक स्पष्ट परिभाषा एंकर है।

सूचकांक

प्रस्तावना	8
अध्याय I: प्रारंभिक	9
1. उद्देश्य	9
2. प्रयोज्यता	9
3. परिभाषाएँ.....	9
3.1 ग्राहक.....	9
3.2 वॉक-इन ग्राहक.....	9
3.3 नामित निदेशक	9
3.4 आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज़ (ओवीडी)	9
3.5 ऑफ़लाइन सत्यापन.....	10
3.6 आधार को ओवीडी के रूप में स्वीकार करना.....	10
3.7 व्यक्ति.....	10
3.8 लेन-देन.....	10
3.9 संदिग्ध लेनदेन	11
3.10 केवाईसी पहचानकर्ता	11
3.11 प्रमाणित प्रत.....	11
3.12 डिजिटल केवाईसी	11
3.14 समतुल्य ई-दस्तावेज़.....	11
3.15 यूसीआईसी.....	11
3.16 लाभकारी मालिक (बीओ)एच	11
3.17 ग्राहक उचित परिश्रम (सीडीडी).....	12
3.19 ऑन-गोइंग ड्यू डिलिजेंस	12
3.20 आवधिक अद्यतन.....	12
3.22 गैर-लाभकारी संगठन (एनपीओ)	12
3.23 केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर)	12
3.24 समूह	12
3.25 एफएटीसीए.....	12
3.26 सामान्य रिपोर्टिंग मानक (सीआरएस).....	12
3.27 वायर ट्रांसफर संबंधित परिभाषाएँ.....	12
अध्याय II: सामान्य	13
1. केवाईसी नीति ढांचा.....	13

2. धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिम मूल्यांकन	13
3. नामित निदेशक	13
4. प्रधान अधिकारी	13
5. केवाईसी नीति का अनुपालन	13
अध्याय III: ग्राहक स्वीकृति नीति	15
अध्याय IV: जोखिम प्रबंधन	17
1. जोखिम-आधारित दृष्टिकोण	17
2. ग्राहकों को बढ़े हुए उचित परिश्रम की आवश्यकता है	17
3. जोखिम वर्गीकरण पैरामीटर	17
अध्याय V: ग्राहक पहचान प्रक्रिया (सीआईपी)	18
अध्याय VI: ग्राहक उचित परिश्रम (सीडीडी) प्रक्रिया	19
भाग I - व्यक्तियों के लिए सीडीडी प्रक्रिया	19
आधार ई-केवाईसी प्रमाणीकरण	19
भाग II - एकल स्वामित्व वाली फर्मों के लिए सीडीडी उपाय	20
भाग III - कानूनी संस्थाओं के लिए सीडीडी उपाय	20
क. कंपनी	20
ख. पार्टनरशिप फर्म	20
ग. विश्वास	20
घ. अनिगमित संघ या व्यक्तियों का निकाय	20
ङ. न्यायिक व्यक्ति (सरकारी विभाग, सोसायटी, विश्वविद्यालय, स्थानीय निकाय)	20
भाग IV - लाभकारी मालिक की पहचान	20
भाग V - लेन-देन की निरंतर उचित परिश्रम और निगरानी	21
क. चल रही निगरानी	21
ख. केवाईसी का आवधिक अद्यतन	21
ख.1 व्यक्तिगत ग्राहक	21
ख.2 कानूनी इकाई ग्राहक	22
ख.3 अतिरिक्त उपाय	22
ख.4 संचार और सूचना प्रक्रिया	22
ख.5 सीकेवाईसीआर-आधारित केवाईसी अपडेट	22
भाग VI - बढ़ी हुई उचित परिश्रम प्रक्रिया	23
ग. राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों के खाते (PEPs)	23
ङ. समूह इकाई ग्राहक डेटा का उपयोग	23
अध्याय VII: रिकॉर्ड प्रबंधन	24

अध्याय VIII: एफआईयू-आईएनडी को रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ.....	26
1. नकद लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर).....	26
2. संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर).....	26
3. गैर-लाभकारी संगठन रिपोर्ट.....	26
अध्याय IX: आतंकवाद के वित्तपोषण और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का मुकाबला करना	27
1. यूएपीए, 1967.....	27
2. डब्ल्यूएमडी अधिनियम, 2005.....	27
3. यूएनएससीआर 1718 प्रतिबंध सूची.....	27
अध्याय X: अन्य निर्देश.....	28
1. ग्राहक जानकारी की गोपनीयता.....	28
2. सीडीडी प्रक्रिया और सीकेवाईसीआर के साथ केवाईसी जानकारी साझा करना.....	28
3. विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी).....	28
4. नई प्रौद्योगिकियों का परिचय	28
5. पैन का उद्घरण	28
6. ग्राहकों को संवेदनशील बनाना.....	29
7. कर्मचारियों की भर्ती और कर्मचारी प्रशिक्षण.....	29
8. प्रौद्योगिकी आवश्यकताएँ.....	29
अनुलग्नक I: डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया	30
अनुलग्नक II: जोखिम श्रेणियाँ.....	31
अनुलग्नक III: संदिग्ध लेन-देन की सांकेतिक सूची.....	33
क. आवास ऋण से संबंधित संदिग्ध लेनदेन	33
ख. बिल्डर/परियोजना ऋण से संबंधित संदिग्ध लेनदेन	33
ग्रुप-वाइड धन शोधनधन शोधन निवारण (एएमएल) नीति.....	35
नीति की समीक्षा	36

प्रस्तावना

राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)/भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सभी आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि अपने ग्राहक को जानें और धन शोधन रोधी उपायों पर एक उचित नीतिगत ढांचा तैयार किया जाए और बोर्ड के अनुमोदन से इसे लागू किया जाए। धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार, समय-समय पर यथा संशोधित विनियमित संस्थाओं (एचएफसी) को लेन-देन करते समय कुछ ग्राहक पहचान प्रक्रियाओं का पालन करना होता है और उनके लेन-देन की निगरानी करनी होती है। एमएचएफसीएल, जो एनएचबी/आरबीआई के साथ एक पंजीकृत आवास वित्त कंपनी है, अपने ग्राहकों को आवास ऋण, संपत्ति ऋण और प्लॉट फाइनेंस प्रदान करती है।

एमएचएफसीएल पारदर्शिता, अनुपालन और निष्पक्ष प्रथाओं के उच्चतम मानकों के लिए खुद को प्रतिबद्ध करता है। एक जिम्मेदार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के रूप में, एमएचएफसीएल आपराधिक गतिविधियों की आय को वैध बनाने के लिए वित्तीय प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसे अपनी नैतिक, सामाजिक और आर्थिक जिम्मेदारी मानती है। इस वैश्विक वास्तविकता पर अंकुश लगाने में हमारी भूमिका अपने ग्राहक को जानें कड़े उपायों से शुरू होती है। यह नीति वित्तीय धोखाधड़ी को नियंत्रित करने, धन शोधन और संदिग्ध लेनदेन की पहचान करने, आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने और बड़े मूल्य और संदिग्ध लेनदेन की सावधानीपूर्वक जांच और निगरानी सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है।

धन शोधन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अवैध रूप से प्राप्त धन को वैध प्रतीत कराने के लिए वित्तीय लेन-देन को छिपाया या परिवर्तित किया जाता है। धन शोधन के तीन मान्यता प्राप्त चरण हैं: (क) प्लेसमेंट – अवैध गतिविधियों से प्राप्त नकद धनराशि को वित्तीय प्रणाली में प्रवेश कराना या उसका प्रारंभिक निपटान करना। (ख) लेयरिंग – जटिल वित्तीय लेन-देन की अनेक परतें बनाकर अवैध धन को उसके वास्तविक स्रोत से अलग करना, ताकि उसकी उत्पत्ति का पता लगाना कठिन हो जाए। (ग) एकीकरण – अवैध रूप से अर्जित धन-संपत्ति को इस प्रकार वित्तीय प्रणाली में सम्मिलित करना कि वह वैध और कानूनी रूप से अर्जित प्रतीत हो। धन शोधन धन शोधन

अध्याय I: प्रारंभिक

1. उद्देश्य

इस नीति के मूल उद्देश्य हैं:

- एनएचबी/आरबीआई द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन करने में सक्षम बनाना।
- धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना।
- धन शोधन या आतंकवादी वित्तपोषण गतिविधियों के लिए आपराधिक तत्वों द्वारा जानबूझकर या अनजाने में एमएचएफसीएल का उपयोग करने से रोकना।
- नियामक और वैधानिक प्रावधानों के अनुसार संदिग्ध लेनदेन का पता लगाने और रिपोर्ट करने के लिए एक उचित नियंत्रण तंत्र स्थापित करना।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीएमएलए 2002 के सभी प्रावधानों, नियमों और बाद के संशोधनों का अनुपालन किया जाता है।
- एफआईयू-आईएनडी और आरबीआई सहित विनियामकों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

केवाईसी पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) यहां देखे जा सकते हैं: <https://rbi.org.in/Scripts/FAQDisplay.aspx?Id=173>

2. प्रयोज्यता

यह केवाईसी-एमएल-सीएफटी नीति इस संबंध में किसी अन्य दस्तावेज, प्रक्रिया, परिपत्र, पत्र या निर्देश में निहित किसी भी अन्य चीज पर हावी होगी। यह नीति एमएचएफसीएल के सभी कार्यक्षेत्रों और उत्पादों पर लागू होगी, चाहे वे मौजूदा हों या भविष्य में शुरू किए गए हों।

केवाईसी और एमएल नीति दिशानिर्देश ग्राहकों और कर्मचारियों से निपटने वाले एमएचएफसीएल के सभी कार्यों पर लागू होते हैं। सभी कार्य अपनी आंतरिक नीतियों, प्रक्रियाओं, उत्पादों आदि का मसौदा तैयार करते समय इस नीति में उल्लिखित दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।

इस नीति को एनएचबी/आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए संबंधित परिचालन दिशानिर्देशों के साथ पढ़ा जाएगा।

3. परिभाषाएँ

इस नीति में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो, यहां दी गई शर्तों में उन्हें नीचे दिए गए अर्थ दिए जाएंगे:

3.1 ग्राहक

एक 'ग्राहक' को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो एमएचएफसीएल के साथ वित्तीय लेनदेन या गतिविधि में लगा हुआ है और इसमें एक ऐसा व्यक्ति शामिल है जिसकी ओर से वह व्यक्ति जो लेनदेन या गतिविधि में लगा हुआ है, कार्य कर रहा है।

3.2 वॉक-इन ग्राहक

'वॉक-इन कस्टमर' का अर्थ है एक ऐसे व्यक्ति जिसका एमएचएफसीएल के साथ खाता-आधारित संबंध नहीं है, लेकिन एमएचएफसीएल के साथ लेनदेन करता है।

तीन.तीननामित निदेशक

"नामित निदेशक" का अर्थ है पीएमएल अधिनियम और नियमों के अध्याय IV के तहत लगाए गए दायित्वों के समग्र अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एमएचएफसीएल द्वारा नामित एक व्यक्ति और इसमें शामिल होंगे: प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक, निदेशक मंडल द्वारा विधिवत प्राधिकृत।

3.4 आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज (ओवीडी)

"आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज" (ओवीडी) का अर्थ है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार संख्या के कब्जे का प्रमाण, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड राज्य सरकार के एक अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम और पते का विवरण होता है।

बशर्ते कि:

- जहां ग्राहक ओवीडी के रूप में आधार संख्या के कब्जे का प्रमाण प्रस्तुत करता है, तो वह इसे ऐसे रूप में प्रस्तुत कर सकता है जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए हैं। ग्राहक को आधार संख्या को संशोधित या ब्लैकआउट करने के लिए कहा जाएगा और एमएचएफसीएल इसे सुनिश्चित करेगा।
- जहां किसी विदेशी नागरिक द्वारा प्रस्तुत ओवीडी में पते का विवरण नहीं होता है, विदेशी क्षेत्राधिकार के सरकारी विभागों द्वारा जारी किए गए दस्तावेज और भारत में विदेशी दूतावास या मिशन द्वारा जारी पत्र पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण: एक दस्तावेज को ओवीडी माना जाएगा, भले ही इसके जारी होने के बाद नाम में कोई बदलाव हो, बशर्ते कि यह राज्य सरकार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र या राजपत्र अधिसूचना द्वारा समर्थित हो, जो नाम के इस तरह के परिवर्तन का संकेत देता है।

3.5 ऑफ़लाइन सत्यापन

इसका वही अर्थ होगा जो आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (पीए) में दिया गया है।

3.6 आधार को ओवीडी के रूप में स्वीकार करना

. प्रावधान के अनुसार, जो कोई भी ओवीडी के रूप में 'आधार संख्या के कब्जे का प्रमाण' प्रस्तुत करता है, उसे इसे ऐसे रूप में करना होगा जो प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया हो। केवाईसी मास्टर निर्देशों में संशोधन के अनुसरण में, 'आधार संख्या के कब्जे का प्रमाण' को ओवीडी की सूची में जोड़ा गया है।

प्राधिकरण ने अधिसूचित किया है कि आधार संख्या की डिलीवरी का अर्थ होगा और इसमें शामिल होंगे:

- आधार पत्र: प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया नाम, पता, लिंग, फोटो और जन्म तिथि का विवरण।
- डाउनलोड किया गया आधार (ई-आधार): आईटी अधिनियम, 2000 के अनुसार प्राधिकरण द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित।
- आधार सिक्कॉर क्यूआर कोड: प्राधिकरण द्वारा उत्पन्न एक त्वरित प्रतिक्रिया कोड।
- आधार पेपरलेस ऑफ़लाइन ई-केवाईसी: प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया एक एक्सएमएल दस्तावेज।

3.7 व्यक्ति

पीएमएल अधिनियम के संदर्भ में, एक 'व्यक्ति' में शामिल हैं:

- एक व्यक्ति,
- एक हिंदू अविभाजित परिवार,
- एक कंपनी,
- एक फर्म,
- व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का एक निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं,
- प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, उपरोक्त में से किसी के भीतर नहीं आता है, और
- उपरोक्त में से किसी के स्वामित्व या नियंत्रण वाली कोई भी एजेंसी, कार्यालय या शाखा।

3.8 लेन-देन

"लेनदेन" का अर्थ है खरीद, बिक्री, ऋण, प्रतिज्ञा, उपहार, हस्तांतरण, वितरण या उसकी व्यवस्था और इसमें शामिल हैं:

- खाता खोलना;
- किसी भी मुद्रा में धन जमा करना, निकासी, विनिमय या हस्तांतरण, चाहे वह नकद या चेक, भुगतान आदेश या अन्य उपकरणों द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक या अन्य गैर-भौतिक साधनों द्वारा हो;
- सुरक्षा जमा बॉक्स या सुरक्षित जमा के किसी अन्य रूप का उपयोग;
- किसी भी प्रत्ययी संबंध में प्रवेश करना;

एमएचएफसीएल केवाईसी और एएमएल नीति

- v. किसी भी संविदात्मक या अन्य कानूनी दायित्व के लिए पूरे या आंशिक रूप से किया गया या प्राप्त किया गया कोई भी भुगतान; या
- vi. एक कानूनी व्यक्ति या कानूनी व्यवस्था की स्थापना या निर्माण।

3.9 संदिग्ध लेनदेन

"संदिग्ध लेनदेन" का अर्थ है एक "लेनदेन", जिसमें एक प्रयास किया गया लेनदेन शामिल है, चाहे वह नकद में किया गया हो या नहीं, जो अच्छे विश्वास में कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए:

- संदेह के एक उचित आधार को जन्म देता है कि इसमें अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट अपराध की आय शामिल हो सकती है, भले ही इसमें शामिल मूल्य कुछ भी हो; या
- असामान्य या अनुचित जटिलता की परिस्थितियों में बनाया गया प्रतीत होता है; या
- ऐसा प्रतीत होता है कि इसका आर्थिक तर्क या वास्तविक उद्देश्य नहीं है; या
- संदेह के एक उचित आधार को जन्म देता है कि इसमें आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों का वित्तपोषण शामिल हो सकता है।

स्पष्टीकरण: आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों के वित्तपोषण से जुड़े लेन-देन में आतंकवाद, आतंकवादी कृत्यों या आतंकवादी, आतंकवादी संगठन या उन लोगों द्वारा संबद्ध या संबंधित या उपयोग किए जाने वाले धन से जुड़े लेनदेन शामिल हैं जो आतंकवाद को वित्तपोषित करते हैं या वित्त पोषण करने का प्रयास कर रहे हैं।

3.10 केवाईसी पहचानकर्ता

इसका अर्थ है केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री द्वारा ग्राहक को सौंपा गया अद्वितीय नंबर या कोड।

3.11 प्रमाणित प्रत

प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का अर्थ होगा आधार संख्या के कब्जे के प्रमाण की प्रति की तुलना करना, जहां ऑफ़लाइन सत्यापन नहीं किया जा सकता है, या ग्राहक द्वारा इस तरह से तैयार किए गए आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज, मूल के साथ और एमएचएफसीएल के अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रति पर इसे दर्ज करना।

बशर्ते कि अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) और भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) के मामले में, निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा प्रमाणित मूल प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है: भारत में पंजीकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की विदेशी शाखाओं के अधिकृत अधिकारी; विदेशी बैंकों की शाखाएं जिनके साथ भारतीय बैंकों के संबंध हैं; विदेश में नोटरी पब्लिक; कोर्ट मजिस्ट्रेट; न्यायाधीश; उस देश में भारतीय दूतावास/महावाणिज्य दूतावास जहां अनिवासी ग्राहक रहता है।

3.12 डिजिटल केवाईसी

"डिजिटल केवाईसी" का अर्थ है ग्राहक की लाइव फोटो और आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज या आधार के कब्जे का प्रमाण, जहां ऑफ़लाइन सत्यापन नहीं किया जा सकता है, साथ ही उस स्थान का अक्षांश और देशांतर जहां एमएचएफसीएल के अधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी लाइव फोटो ली जा रही है।

3.14 समतुल्य ई-दस्तावेज

“समकक्ष इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज” से अभिप्राय ऐसे दस्तावेज के इलेक्ट्रॉनिक समकक्ष से है, जिसे संबंधित जारीकर्ता प्राधिकरण द्वारा उसके वैध डिजिटल हस्ताक्षर सहित जारी किया गया हो। इसमें वे दस्तावेज भी शामिल हैं जो सूचना प्रौद्योगिकी (डिजिटल लॉकर सुविधाएँ प्रदान करने वाले मध्यस्थों द्वारा सूचना का संरक्षण एवं अभिलेखन) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसार ग्राहक के डिजिटल लॉकर खाते में जारी किए गए हों।

3.15 यूसीआईसी

इसका मतलब है अद्वितीय ग्राहक पहचान कोड।

3.16 लाभकारी मालिक (बीओ)एच

जहां ग्राहक एक कंपनी है, लाभकारी मालिक प्राकृतिक व्यक्ति है, जो अकेले या एक साथ कार्य कर रहा है, या एक या अधिक न्यायिक व्यक्तियों के माध्यम से, एक नियंत्रित स्वामित्व हित (शेयरों/पंजी/मुनाफे का 10% से अधिक) है या जो अन्य माध्यमों से नियंत्रण का प्रयोग करता है। साझेदारी

एमएचएफसीएल केवाईसी और एमएल नोड

फर्मों के लिए: पूंजी या लाभ का 10% से अधिक। अनिगमित संघों के लिए: संपत्ति/पूंजी/लाभ का 15% से अधिक। ट्रस्टों के लिए: लेखक, ट्रस्टी, 10% या अधिक ब्याज वाले लाभार्थी और अंतिम प्रभावी नियंत्रण का प्रयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति।

3.17 ग्राहक उचित परिश्रम (सीडीडी)

पहचान के विश्वसनीय और स्वतंत्र स्रोतों का उपयोग करके ग्राहक और लाभकारी मालिक की पहचान करना और सत्यापित करना है।

3.19 ऑन-गोइंग ड्यू डिलिजेंस

इसका अर्थ है खातों में लेन-देन की नियमित निगरानी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ग्राहकों, ग्राहकों के व्यवसाय और जोखिम प्रोफाइल, धन/धन के स्रोत के बारे में एमएचएफसीएल के ज्ञान के अनुरूप हैं।

3.20 आवधिक अद्यतन

इसका अर्थ यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों से है कि सीडीडी प्रक्रिया के तहत एकत्र किए गए दस्तावेजों, आंकड़ों या सूचनाओं को रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समय-समय पर मौजूदा अभिलेखों की समीक्षा करके अद्यतन और प्रासंगिक रखा जाए।

3.22 गैर-लाभकारी संगठन (एनपीओ)

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (15) में निर्दिष्ट धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए गठित कोई भी इकाई या संगठन, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या किसी भी समान राज्य कानून या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनी के तहत एक ट्रस्ट या सोसायटी के रूप में पंजीकृत है।

3.23 केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर)

इससे अभिप्राय नियम 2(1) के अंतर्गत परिभाषित ऐसी इकाई से है, जो किसी ग्राहक के केवाईसी अभिलेखों को डिजिटल रूप में प्राप्त करने, संग्रहीत करने, सुरक्षित रखने तथा आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्राप्त करने का कार्य करती है।

3.24 समूह

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 286 की उप-धारा (9) के खंड (ई) में इसे सौंपा गया एक ही अर्थ होगा।

स्पष्टीकरण: इस नीति के प्रयोजन के लिए, 'समूह' मुथूट पप्पचन समूह को संदर्भित करता है और इसमें वे सभी संस्थाएं शामिल हैं जो समूह के वित्तीय विवरणों में समेकित हैं, विशेष रूप से आरबीआई-विनियमित संस्थाएं जैसे मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड (एमएफएल), मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (एमएचएफसीएल), और समूह के भीतर कोई अन्य विनियमित इकाई। यह परिभाषा ग्रुप-वाइड एएमएल नीति अनुभाग के लिए प्रासंगिक है जहां समूह संस्थाओं के बीच जानकारी साझा करना निर्धारित है।

3.25 एफएटीसीए

इसका अर्थ है संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) का विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, विदेशी वित्तीय संस्थानों को अमेरिकी करदाताओं या विदेशी संस्थाओं द्वारा रखे गए वित्तीय खातों के बारे में रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है, जिसमें अमेरिकी करदाताओं का पर्याप्त स्वामित्व हित होता है।

3.26 सामान्य रिपोर्टिंग मानक (सीआरएस)

कर मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता पर कन्वेंशन के अनुच्छेद 6 के आधार पर स्वचालित रूप से सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के लिए हस्ताक्षरित बहुपक्षीय समझौते के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित रिपोर्टिंग मानकों का अर्थ है।

3.27 वायर ट्रांसफर संबंधित परिभाषाएँ

अन्य सभी अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, आरबीआई अधिनियम, 1935, पीएमएल अधिनियम, 2002, पीएमएल नियम, 2005, आधार अधिनियम, 2016 और उसके तहत बनाए गए विनियमों के तहत सौंपा गया है, या जैसा कि वाणिज्यिक भाषा में उपयोग किया जाता है।

अध्याय II: सामान्य

1. केवाईसी नीति रूपरेखा

एमएचएफसीएल के पास निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) नीति है। एमएचएफसीएल यह सुनिश्चित करेगा कि यह नीति धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अध्याय IV के प्रावधानों के तहत दायित्वों के निर्वहन के उद्देश्य से लागू की जाए।

एमएचएफसीएल का नीतिगत ढांचा नियामक निर्देशों सहित पीएमएल अधिनियम/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहता है, और धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण, प्रसार वित्तपोषण और अन्य संबंधित जोखिमों से उत्पन्न होने वाले खतरों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच प्रदान करना चाहिए। अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, एमएचएफसीएल एफएटीएफ मानकों और एफएटीएफ मार्गदर्शन नोटों को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाने पर भी विचार कर सकता है।

केवाईसी नीति में निम्नलिखित चार प्रमुख तत्व शामिल हैं:

- i. ग्राहक स्वीकृति नीति;
- ii. जोखिम प्रबंधन;
- iii. ग्राहक पहचान प्रक्रिया (सीआईपी); तथा
- iv. लेन-देन की निगरानी।

2. धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिम मूल्यांकन

एमएचएफसीएल ग्राहकों, देशों या भौगोलिक क्षेत्रों, उत्पादों, सेवाओं, लेनदेन या वितरण चैनलों आदि के लिए अपने धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिम को कम करने के लिए प्रभावी उपाय करने के लिए समय-समय पर 'धन शोधन (एमएल) और आतंकवादी वित्तपोषण (टीएफ) जोखिम मूल्यांकन' अभ्यास करेगा।

मूल्यांकन प्रक्रिया समग्र जोखिम के स्तर और लागू किए जाने वाले शमन के उचित स्तर और प्रकार का निर्धारण करने से पहले सभी प्रासंगिक जोखिम कारकों पर विचार करेगी। आंतरिक जोखिम मूल्यांकन तैयार करते समय, एमएचएफसीएल समग्र क्षेत्र-विशिष्ट कमजोरियों, यदि कोई हो, का संज्ञान लेगा, जिसे नियामक/पर्यवेक्षक समय-समय पर साझा कर सकते हैं।

जोखिम मूल्यांकन को उचित रूप से प्रलेखित किया जाएगा और एमएचएफसीएल की प्रकृति, आकार, भौगोलिक उपस्थिति, गतिविधियों/संरचना की जटिलता आदि के अनुपात में होना चाहिए। जोखिम मूल्यांकन अभ्यास की आवधिकता बोर्ड या बोर्ड की किसी भी समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी, लेकिन कम से कम छमाही में इसकी समीक्षा की जाएगी।

परिणाम बोर्ड या बोर्ड की किसी भी समिति के सामने रखा जाएगा और सक्षम अधिकारियों और स्व-नियामक निकायों के लिए उपलब्ध होगा।

एमएचएफसीएल जोखिमों के शमन और प्रबंधन के लिए एक जोखिम आधारित दृष्टिकोण (आरबीए) लागू करेगा और इस संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां, नियंत्रण और प्रक्रियाएं होंगी। बोर्ड/सीबी समय-समय पर निगरानी परिणामों और एनआरए अपडेट के आधार पर एमएल/टीएफ जोखिम नियंत्रण और आवश्यकतानुसार प्रत्यक्ष संवर्द्धन की समीक्षा करेगा।

3. नामित निदेशक

एमएचएफसीएल ने धन शोधन/धन शोधन निवारण रोकथाम (संशोधन) नियम 2013 के संदर्भ में कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक को नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वह पीएमएलए और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत समग्र अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा। समय-समय पर परिवर्तनों सहित नाम, पदनाम, पता और संपर्क विवरण निदेशक, एफआईयू-आईएनडी और आरबीआई को भी सूचित किया जाएगा। किसी भी स्थिति में प्रधान अधिकारी को नामित निदेशक के रूप में नामित नहीं किया जाएगा।

4. प्रधान अधिकारी

एमएचएफसीएल ने प्रबंधन स्तर पर एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रधान अधिकारी (पीओ) के रूप में नामित किया है। पीओ स्वतंत्र है और सीधे वरिष्ठ प्रबंधन को रिपोर्ट करता है। पीओ अनुपालन सुनिश्चित करने, लेनदेन की निगरानी करने और कानून/विनियमों के तहत आवश्यक जानकारी साझा करने के लिए जिम्मेदार है। नाम, पदनाम, पता और संपर्क विवरण एफआईयू-आईएनडी और आरबीआई दोनों को सूचित किया जाएगा।

5. केवाईसी नीति का अनुपालन और एमएल नीति

एमएचएफसीएल निम्नलिखित के माध्यम से केवाईसी नीति का अनुपालन सुनिश्चित करेगा:

- केवाईसी अनुपालन के उद्देश्य से संचालन प्रमुख बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी को 'वरिष्ठ प्रबंधन' के रूप में गठित किया जाएगा।
- एचओ/जोनल/सर्कल ऑफिस स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कार्यालय आदेश के माध्यम से जिम्मेदारी का आवंटन।
- अनुपालन प्रभाग, एचओ द्वारा अनुपालन कार्यों का स्वतंत्र मूल्यांकन।
- केवाईसी/एमएल नीतियों के अनुपालन को सत्यापित करने और लेखा परीक्षा समिति को त्रैमासिक ऑडिट नोट प्रस्तुत करने के लिए समवर्ती/आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली।
- एमएचएफसीएल यह सुनिश्चित करेगा कि केवाईसी मानदंडों के अनुपालन का निर्धारण करने के निर्णय लेने के कार्यों को आउटसोर्स नहीं किया गया है।
- केवाईसी/एमएल/सीएफटी दिशानिर्देशों के अनुपालन पर सांविधिक लेखा परीक्षकों से एक प्रमाण पत्र वार्षिक रिपोर्ट तैयार करते समय प्राप्त किया जाएगा और रिकॉर्ड पर रखा जाएगा।

अध्याय III: ग्राहक स्वीकृति नीति

एमएचएफसीएल ने एक मजबूत ग्राहक स्वीकृति नीति तैयार की है जिसका उद्देश्य विश्वसनीय, स्वतंत्र स्रोत दस्तावेजों, डेटा या सूचना का उपयोग करके ग्राहक की पहचान और पते को सत्यापित करना है। एमएचएफसीएल यह सुनिश्चित करेगा कि:

- कोई खाता नहीं खोला गया है या अनाम या काल्पनिक/बेनामी नाम से लेनदेन नहीं किया गया है।
- जोखिम धारणा के मापदंडों को व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति, ग्राहक और उसके ग्राहकों के स्थान, भुगतान के तरीके, टर्नओवर की मात्रा, सामाजिक और वित्तीय स्थिति आदि के संदर्भ में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है ताकि ग्राहकों को निम्न, मध्यम और उच्च जोखिम में वर्गीकृत किया जा सके।
- कथित जोखिम और पीएमएल अधिनियम, 2002 और भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों की आवश्यकताओं के आधार पर ग्राहकों की विभिन्न श्रेणियों से दस्तावेज और अन्य जानकारी एकत्र की जानी चाहिए।
- अतिरिक्त जानकारी, जहां आंतरिक केवाईसी नीति में निर्दिष्ट नहीं है, ग्राहक की स्पष्ट सहमति से प्राप्त की जाती है।
- यूसीआईसी स्तर पर लागू की जाने वाली सीडीडी प्रक्रियाएं। यदि कोई मौजूदा केवाईसी अनुपालन करने वाला ग्राहक कोई अन्य खाता खोलता है या एमएचएफसीएल के साथ किसी अन्य उत्पाद या सेवा का लाभ उठाता है, तो पहचान के लिए नए सीडीडी अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
- ऐसा कोई भी लेन-देन न करें जहां एमएचएफसीएल उचित सीडीडी उपायों को लागू करने में असमर्थ है यानी पहचान सत्यापित करने या आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने में असमर्थ है। एमएचएफसीएल इसी तरह की परिस्थितियों में मौजूदा खाते को बंद करने पर विचार कर सकता है और यदि आवश्यक हो तो एसटीआर दाखिल करने पर विचार करेगा।
- एमएचएफसीएल के पास यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणालियां होंगी कि ग्राहक की पहचान रिजर्व बैंक द्वारा परिचालित स्वीकृति सूची में किसी भी व्यक्ति या संस्था से मेल न खाए।
- जहां पैन प्राप्त किया जाता है, इसे जारी करने वाले प्राधिकारी की सत्यापन सुविधा से सत्यापित किया जाएगा।
- जहां ईएमआई, पूर्व-भुगतान, आंशिक भुगतान, फौजदारी राशि, या किसी अन्य बकाया राशि के लिए उधारकर्ता (रिश्तेदारों, परिवार के सदस्यों, नियोक्ताओं या किसी तीसरे पक्ष सहित) के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से भुगतान प्राप्त किया जाता है, तो निम्नलिखित लागू होंगे:
 - i. यदि भुगतान नकद में है और एकल लेनदेन राशि 50,000 रुपये से अधिक है, तो भुगतानकर्ता (तीसरे पक्ष) का पैन या फॉर्म 60 प्राप्त किया जाएगा और सत्यापित किया जाएगा, इसके अलावा उधारकर्ता के पैन पहले से ही रिकॉर्ड पर है।
 - ii. यदि किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी तीसरे पक्ष से कुल नकद भुगतान 2,00,000 रुपये से अधिक है (सभी खातों/ऋणों में), तो भुगतानकर्ता का पैन या फॉर्म 60 प्राप्त किया जाएगा यदि पहले से एकत्र नहीं किया गया है।
 - iii. तीसरे पक्ष के भुगतानकर्ता के पैन को निम्नलिखित में से किसी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा:
 - आयकर विभाग का पैन सत्यापन पोर्टल (<https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/>)
 - एनएसडीएल पैन सत्यापन सुविधा
 - यूटीआईआईटीएसएल पैन सत्यापन सुविधा
 - iv. यदि भुगतान तीसरे पक्ष के बैंक खाते से चेक/एनईएफटी/आरटीजीएस/यूपीआई द्वारा किया जाता है, तो भुगतानकर्ता के बैंक खाते का विवरण और पैन दर्ज किया जाएगा। यदि एकल लेनदेन 50,000 रुपये से अधिक है तो पैन सत्यापन अनिवार्य है।
 - v. तीसरे पक्ष के भुगतानकर्ता से एक घोषणा प्राप्त की जाएगी जिसमें उधारकर्ता के साथ संबंध और भुगतान का उद्देश्य बताया जाएगा।
 - vi. जहां तीसरे पक्ष के भुगतान अक्सर, असामान्य रूप से बड़े होते हैं, या उधारकर्ता से कोई स्पष्ट संबंध नहीं होने वाले पक्षों से, लेनदेन को बड़ी हुई जांच के लिए चिह्नित किया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो इसे संदिग्ध लेनदेन के रूप में रिपोर्ट किया जा सकता है।

एमएचएफसीएल केवाईसी और एएमएल नीति

- जहां एक समकक्ष ई-दस्तावेज प्राप्त किया जाता है, एमएचएफसीएल आईटी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर को सत्यापित करेगा।
- जहां जीएसटी विवरण उपलब्ध हैं, जीएसटी नंबर जारी करने वाले प्राधिकरण से सत्यापित किया जाएगा।
- संयुक्त खाता खोलते समय सभी संयुक्त खाताधारकों के लिए सीडीडी प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

जहां एमएचएफसीएल धन शोधन या आतंकवादी वित्तपोषण का संदेह बनाता है, और यह यथोचित रूप से मानता है कि सीडीडी प्रक्रिया करने से ग्राहक को टिप-ऑफ कर दिया जाएगा, यह सीडीडी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएगा, और इसके बजाय एफआईयू-आईएनडी के साथ एक एसटीआर दर्ज करेगा।

अध्याय IV: जोखिम प्रबंधन

1. जोखिम-आधारित दृष्टिकोण

एमएचएफसीएल एक जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाएगा जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- एमएचएफसीएल के मूल्यांकन और जोखिम धारणा के आधार पर ग्राहकों को निम्न, मध्यम और उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- जोखिम वर्गीकरण ग्राहक की पहचान, सामाजिक/वित्तीय स्थिति, व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति, ग्राहक के व्यवसाय और उनके स्थान के बारे में जानकारी, भौगोलिक जोखिम, उत्पादों/सेवाओं के प्रकार, वितरण चैनल, लेनदेन के प्रकार (नकद, चेक, वायर ट्रांसफर, आदि) जैसे मापदंडों के आधार पर किया जाएगा।
- जोखिम वर्गीकरण और विशिष्ट कारणों को गोपनीय रखा जाएगा और ग्राहक को टिपिंग से बचने के लिए प्रकट नहीं किया जाएगा।
- एमएचएफसीएल के आंतरिक लेखा परीक्षा और अनुपालन कार्य स्वतंत्र रूप से केवाईसी नीतियों और प्रक्रियाओं के पालन का मूल्यांकन करेंगे।
- आंतरिक लेखा परीक्षक धन शोधन रोधी दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए लेन-देन की जांच करेंगे और तिमाही आधार पर लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करेंगे।

2. ग्राहकों को बढ़े हुए उचित परिश्रम की आवश्यकता है

जिन ग्राहकों को औसत से अधिक जोखिम होने की संभावना है, उन्हें मध्यम या उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। उदाहरणों में शामिल:

- अनिवासी ग्राहक;
- उन देशों के ग्राहक जो एफएटीएफ मानकों को अपर्याप्त रूप से लागू नहीं करते हैं या अपर्याप्त रूप से लागू करते हैं;
- उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति;
- ट्रस्ट, दान, गैर सरकारी संगठन और दान प्राप्त करने वाले संगठन;
- करीबी पारिवारिक शोयरधारिता या लाभकारी स्वामित्व वाली कंपनियां;
- 'स्लीपिंग पार्टनर्स' वाली फर्म;
- राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (पीईपी);
- ग्राहकों का सामना करने के लिए आमने-सामने; तथा
- उपलब्ध सार्वजनिक सूचना के अनुसार संदिग्ध प्रतिष्ठा वाले लोग।

केवल संयुक्त राष्ट्र या उसकी एजेंसियों द्वारा प्रचारित एनपीओ/एनजीओ को ही कम जोखिम वाले ग्राहकों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

3. जोखिम वर्गीकरण के मानदंड

विस्तृत जोखिम श्रेणियां इस पॉलिसी के [अनुलग्नक II](#) में दी गई हैं।

अध्याय V: ग्राहक पहचान प्रक्रिया (सीआईपी)

एमएचएफसीएल निम्नलिखित मामलों में ग्राहकों की पहचान करेगा:

- ग्राहक के साथ खाता आधारित संबंध की शुरुआत।
- जब ग्राहक पहचान डेटा की प्रामाणिकता या पर्याप्तता के बारे में कोई संदेह हो।
- एजेंटों के रूप में तीसरे पक्ष के उत्पादों को बेचना, स्वयं के उत्पादों को बेचना, क्रेडिट कार्ड/बिक्री के बकाया का भुगतान और प्रीपेड/ट्रैवल कार्ड और किसी अन्य उत्पाद को पचास हजार रुपये से अधिक में फिर से लोड करना।
- वॉक-इन ग्राहक के लिए लेन-देन करना जहां राशि पचास हजार रुपये के बराबर या उससे अधिक है, चाहे वह एकल या संबद्ध लेनदेन हो।
- जब एमएचएफसीएल के पास यह मानने का कारण है कि एक ग्राहक जानबूझकर पचास हजार रुपये की सीमा से नीचे लेनदेन की संरचना कर रहा है।

एमएचएफसीएल यह सुनिश्चित करेगा कि खाते खोलते समय परिचय की मांग न की जाए।

अध्याय VI: ग्राहक उचित परिश्रम (सीडीडी) प्रक्रिया

भाग I - व्यक्तियों के लिए सीडीडी प्रक्रिया

सीडीडी करने के लिए, एमएचएफसीएल खाता-आधारित संबंध स्थापित करते समय या उस व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय निम्नलिखित प्राप्त करेगा जो किसी भी कानूनी इकाई से संबंधित एक लाभकारी मालिक, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता या पावर ऑफ अटॉर्नी धारक है:

- आधार संख्या (जहां आधार अधिनियम, 2016 के तहत लागू हो या स्वेच्छा से जमा किया गया हो);
- आधार संख्या के कब्जे का प्रमाण जहां ऑफलाइन सत्यापन किया जा सकता है; या
- आधार संख्या के कब्जे का प्रमाण जहां ऑफलाइन सत्यापन नहीं किया जा सकता है, या कोई भी ओवीडी या उसके समकक्ष ई-दस्तावेज जिसमें पहचान और पते का विवरण हो;
- सीकेवाईसीआर से रिकॉर्ड डाउनलोड करने के लिए स्पष्ट सहमति के साथ केवाईसी पहचानकर्ता; तथा
- स्थायी खाता संख्या या उसके समकक्ष ई-दस्तावेज या फॉर्म नंबर 60; तथा
- ऐसे अन्य दस्तावेज जिनमें व्यवसाय की प्रकृति और वित्तीय स्थिति के संबंध में शामिल हैं।

जहां ग्राहक ने आधार के कब्जे का प्रमाण प्रस्तुत किया है, जहां ऑफलाइन सत्यापन किया जा सकता है, एमएचएफसीएल ऑफलाइन सत्यापन करेगा। जहां किसी भी ओवीडी का समकक्ष ई-दस्तावेज जमा किया जाता है, एमएचएफसीएल डिजिटल हस्ताक्षर को सत्यापित करेगा और [अनुलग्नक I](#) (डिजिटल केवाईसी) के तहत निर्दिष्ट एक लाइव फोटो लेगा।

जहां कोई ओवीडी या आधार के कब्जे का प्रमाण जहां ऑफलाइन सत्यापन नहीं किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जाता है, एमएचएफसीएल [अनुलग्नक I](#) के तहत निर्दिष्ट डिजिटल केवाईसी के माध्यम से सत्यापन करेगा।

आधार ई-केवाईसी प्रमाणीकरण

एमएचएफसीएल, आधार संख्या प्राप्त होने के समय, ग्राहक की स्पष्ट सहमति के साथ, ई-केवाईसी प्रमाणीकरण (बायोमेट्रिक या ओटीपी आधारित) या हां/नहीं प्रमाणीकरण करेगा।

बशर्ते कि:

- खाता-आधारित संबंध स्थापित करते समय हां/नहीं प्रमाणीकरण नहीं किया जाएगा।
- हां/नहीं प्रमाणीकरण वाले मौजूदा खातों के लिए, बायोमेट्रिक या ओटीपी आधारित ई-केवाईसी प्रमाणीकरण छह महीने के भीतर किया जाएगा।
- किसी कानूनी इकाई के लाभकारी मालिकों के लिए हां/नहीं प्रमाणीकरण मौजूदा खातों के लिए या नया संबंध स्थापित करते समय पर्याप्त होगा।
- जहां नए खातों के लिए ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण आमने-सामने मोड में किया जाता है, एमएचएफसीएल यह सुनिश्चित करेगा कि आधार प्रमाणीकरण के लिए मोबाइल नंबर ग्राहक के प्रोफाइल से मेल खाता हो।
- आधार फेस ऑथेंटिकेशन सहित बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी प्रमाणीकरण अधिकारियों या व्यापार प्रतिनिधियों द्वारा किया जा सकता है।

ऐसा न करने पर, खाता चालू नहीं रहेगा। ऋण खातों के मामले में, केवल क्रेडिट की अनुमति दी जाएगी।

एमएचएफसीएल की एक शाखा द्वारा एक बार किए जाने के बाद केवाईसी सत्यापन किसी अन्य शाखा में स्थानांतरित करने के लिए वैध होगा, बशर्ते कि पूर्ण केवाईसी किया गया हो और समय-समय पर अपडेट के लिए देय न हो।

भाग II - एकल स्वामित्व वाली फर्मों के लिए सीडीडी उपाय

एकल स्वामित्व वाली फर्म के नाम पर खाता खोलने के लिए, व्यक्ति (मालिक) का सीडीडी किया जाएगा। इसके अलावा, व्यवसाय/गतिविधि के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित में से कोई दो दस्तावेज भी प्राप्त किए जाएंगे:

- सरकार द्वारा जारी उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र (यूआरसी) सहित पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- दुकान और स्थापना अधिनियम के तहत नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र/लाइसेंस।
- बिक्री और आयकर विवरणी।
- जीएसटी प्रमाण पत्र।
- बिक्री कर/सेवा कर/व्यावसायिक कर प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र/पंजीकरण दस्तावेज।
- डीजीएफटी द्वारा मालिकाना कंपनी को जारी किया गया आईईसी अथवा किसी संविधि के तहत निगमित किसी व्यावसायिक निकाय द्वारा जारी लाइसेंस/पैरक्टिस प्रमाण पत्र।
- एकमात्र मालिक के नाम पर पूर्ण आयकर विवरणी जहां फर्म की आय परिलक्षित होती है।
- उपयोगिता बिल जैसे बिजली, पानी, लैंडलाइन टेलीफोन बिल।

ऐसे मामलों में जहां दो दस्तावेज प्रस्तुत करना संभव नहीं है, एमएचएफसीएल अपने विवेक से केवल एक को स्वीकार कर सकता है, बशर्ते कि वह संपर्क बिंदु सत्यापन करता है और व्यावसायिक गतिविधि से खुद को संतुष्ट करता है।

भाग III - कानूनी संस्थाओं के लिए सीडीडी उपाय

क. कंपनी

की प्रमाणित प्रतियां: निगमन का प्रमाण पत्र; मेमोरेण्डम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन; कंपनी का पैर; बोर्ड संकल्प और पावर ऑफ अटॉर्नी; लाभकारी मालिक, प्रबंधकों, लेन-देन करने का अधिकार रखने वाले अधिकारियों से संबंधित दस्तावेज; वरिष्ठ प्रबंधन पद धारण करने वाले व्यक्तियों के नाम; पंजीकृत कार्यालय और व्यवसाय का प्रमुख स्थान।

ख. पार्टनरशिप फर्म

की प्रमाणित प्रतियां: पंजीकरण प्रमाण पत्र; साझेदारी विलेख; साझेदारी फर्म का पैर; लाभकारी मालिक और प्राधिकरण धारण करने वाले व्यक्तियों से संबंधित दस्तावेज; सभी भागीदारों के नाम; पंजीकृत कार्यालय और व्यवसाय का प्रमुख स्थान।

ग. विश्वास

की प्रमाणित प्रतियां: पंजीकरण प्रमाण पत्र; ट्रस्ट डीड; ट्रस्ट का पैर या फॉर्म नंबर 60; लाभकारी मालिक और प्राधिकरण धारण करने वाले व्यक्तियों से संबंधित दस्तावेज; लाभार्थियों, ट्रस्टियों, सेटलर और लेखकों के नाम; पंजीकृत कार्यालय; ट्रस्टियों और उनके दस्तावेजों की सूची।

घ. अनिगमित संघ या व्यक्तियों का निकाय

प्रबंध निकाय का संकल्प; पावर ऑफ अटॉर्नी; लाभकारी मालिक और वकील धारकों से संबंधित दस्तावेज; कानूनी अस्तित्व स्थापित करने के लिए जानकारी; सभी भागीदारों के नाम; पंजीकृत कार्यालय और व्यवसाय का प्रमुख स्थान।

स्पष्टीकरण: अपंजीकृत ट्रस्ट/साझेदारी फर्मों को 'अनिगमित संघ' के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। 'व्यक्तियों का निकाय' शब्द में समाज शामिल हैं।

ङ. न्यायिक व्यक्ति (सरकारी विभाग, सोसायटी, विश्वविद्यालय, स्थानीय निकाय)

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम दर्शाने वाला दस्तावेज; अधिकृत व्यक्ति के लिए आधार/पैन/ओवीडी; कानूनी अस्तित्व स्थापित करने के लिए दस्तावेज।

भाग IV - लाभकारी मालिक की पहचान

जब एमएचएफसीएल व्यावसायिक संबंध खोलने के लिए किसी ग्राहक की पहचान करता है, तो वह लाभकारी मालिक की पहचान करेगा और उसकी पहचान सत्यापित करने के लिए पीएमएल नियमों के नियम 9(3) और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 89 और 90 के संदर्भ में सभी उचित कदम उठाएगा:

कंपनी स्वामित्व वाले व्यक्ति के नियंत्रित करने वाले प्राकृतिक व्यक्ति (>शेयरों/पूँजी/मुनाफे का 10%) या नियंत्रण।

- साझेदारी फर्म: पूंजी या मुनाफे के >10% के साथ प्राकृतिक व्यक्ति।
- अनिगमित संघ/निकाय: संपत्ति/पूंजी/मुनाफे का >15% के साथ प्राकृतिक व्यक्ति।
- जहां किसी प्राकृतिक व्यक्ति की पहचान नहीं की गई है, वहां संबंधित व्यक्ति वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी के पद पर है।
- ट्रस्ट: लेखक, ट्रस्टी, 10% + ब्याज वाले लाभार्थी, और अंतिम प्रभावी नियंत्रण का प्रयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति।
- सूचीबद्ध कंपनियां और उनकी सहायक कंपनियां: शेयरधारकों/लाभकारी मालिकों की पहचान करना आवश्यक नहीं है।

ट्रस्ट/नॉमिनी या फिड्यूसरी खातों के मामलों में, एमएचएफसीएल यह निर्धारित करेगा कि ग्राहक किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कार्य कर रहा है या नहीं और बिचौलियों और व्यक्तियों की पहचान का संतोषजनक प्रमाण प्राप्त करेगा जिनके लिए वे कार्य कर रहे हैं।

भाग V - लेन-देन की निरंतर उचित परिश्रम और निगरानी

क. चल रही निगरानी

एमएचएफसीएल यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर परिश्रम करेगा कि लेनदेन ग्राहकों के बारे में जानकारी के अनुरूप हैं। निम्नलिखित प्रकार के लेन-देन की बारीकी से निगरानी की जाएगी:

- आरटीजीएस लेनदेन सहित बड़े और जटिल लेनदेन, और असामान्य पैटर्न वाले लेनदेन, जिनका कोई स्पष्ट आर्थिक तर्क या वैध उद्देश्य नहीं है।
- ऐसा लेन-देन जो खातों की विशिष्ट श्रेणियों के लिए निर्धारित सीमा से अधिक हो।
- ऐसी लेन-देन जिसमें बड़ी मात्रा में नकदी शामिल हो जो ग्राहक की सामान्य और अपेक्षित गतिविधि के साथ असंगत हो।
- उच्च खाता कारोबार बनाए रखा शेष राशि के आकार के साथ असंगत है।
- मौजूदा और नए खोले गए खातों में तीसरे पक्ष के चेक, ड्राफ्ट आदि को जमा करना और उसके बाद नकद निकासी।
- बड़ी संख्या में लेन-देन ग्राहक के प्रोफाइल के साथ असंगत हैं।
- विपणन फर्मों, विशेष रूप से बहु-स्तरीय विपणन (एमएलएम) कंपनियों के खातों में लेन-देन की बारीकी से निगरानी की जाएगी।

निरंतर उचित परिश्रम के लिए, एमएचएफसीएल प्रभावी निगरानी का समर्थन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग (एआई और एमएल) प्रौद्योगिकियों सहित उपयुक्त नवाचारों को अपनाने पर विचार कर सकता है।

निगरानी की सीमा को जोखिम श्रेणी के साथ जोड़ा जाएगा। जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा की एक प्रणाली, छह महीने में कम से कम एक बार, लागू की जाएगी। बोर्ड/एसीबी समय-समय पर एमएल/टीएफ जोखिम नियंत्रण और आवश्यकतानुसार प्रत्यक्ष संवर्द्धन की समीक्षा करेगा।

ख. केवाईसी का आवधिक अद्यतन

एमएचएफसीएल समय-समय पर केवाईसी अद्यतन के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाएगा:

- उच्च जोखिम वाले ग्राहक: हर 2 वर्ष में।
- मध्यम जोखिम वाले ग्राहक: हर 8 वर्ष में।
- कम जोखिम वाले ग्राहक: हर 10 वर्ष में।

समय-सीमा की गणना खाता खोलने की तारीख या अंतिम केवाईसी अपडेशन, जो भी बाद में हो, से की जाएगी।

कम जोखिम वाले व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए, केवाईसी को गिरने के एक वर्ष के भीतर या 30 जून 2026 तक, जो भी बाद में हो, स्व-घोषणा/सकारात्मक पुष्टिकरण विकल्पों के साथ अपडेट किया जा सकता है।

ख.1 व्यक्तिगत ग्राहक

केवाईसी जानकारी में कोई बदलाव नहीं: ग्राहक पंजीकृत ईमेल, पंजीकृत मोबाइल, मोबाइल एप्लिकेशन या भौतिक पत्र के माध्यम से स्व-घोषणा जमा करेगा।

पते में परिवर्तन: नए पते की स्व-घोषणा प्राप्त की जाएगी। एमएचएफसीएल अपने विकल्प पर पते के सत्यापन के लिए ओवीडी/डीमड ओवीडी प्राप्त कर सकता है। एमएचएफसीएल की आंतरिक नीति के अनुसार, पते में कोई भी बदलाव एक नए ग्राहक को शामिल करने के बराबर एक पूर्ण री-

केवाईसी प्रक्रिया को ट्रिगर करेगा।

आधार ओटीपी-आधारित ई-केवाईसी: इसका उपयोग आमने-सामने मोड में समय-समय पर अपडेट के लिए किया जा सकता है। वर्तमान पते की घोषणा, यदि आधार पते से भिन्न है, तो सकारात्मक पुष्टि की आवश्यकता नहीं होगी। प्रमाणीकरण के लिए मोबाइल नंबर ग्राहक की प्रोफाइल में दिए गए नंबर से मेल खाना चाहिए।

बिजनेस कॉरिस्पोंडेंट (बीसी): एमएचएफसीएल केवाईसी अपडेशन की सुविधा के लिए प्राधिकृत बीसी का उपयोग कर सकता है। बीसी स्व-घोषणाएं और सहायक दस्तावेज एकत्र कर सकते हैं। बायोमेट्रिक-आधारित ई-केवाईसी प्रमाणीकरण के बाद, बीसी संबंधित शाखा को दस्तावेज अग्रेषित करेंगे और ग्राहक को पावती प्रदान करेंगे। अंतिम जिम्मेदारी एमएचएफसीएल के पास है।

माइनर से मेजर ट्रांजिशन: ग्राहक के बालिंग होने पर ताजा तस्वीरें और अपडेटेड सीडीडी दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे।

ख.2 कानूनी इकाई ग्राहक

कोई बदलाव नहीं: पंजीकृत ईमेल, मोबाइल एप्लिकेशन या भौतिक पत्र के माध्यम से अधिकृत अधिकारी या बोर्ड संकल्प से स्व-घोषणा। एमएचएफसीएल लाभकारी स्वामित्व जानकारी को सत्यापित और अद्यतन करेगा।

केवाईसी जानकारी में परिवर्तन: नए एलई ग्राहक को शामिल करने के बराबर पूर्ण केवाईसी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

ख.3 अतिरिक्त उपाय

- सीडीडी दस्तावेजों को वर्तमान मानकों का पालन करना चाहिए, भले ही ग्राहक जानकारी में कोई बदलाव न हो।
- यदि मौजूदा सीडीडी दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो गई है, तो एक पूर्ण केवाईसी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
- पैर विवरण जारी करने वाले प्राधिकरण के डेटाबेस के खिलाफ सत्यापित किया जाएगा।
- ग्राहक को अपडेशन की तारीख बताते हुए पावती प्रदान की जाएगी।
- सभी अद्यतन जानकारी तुरंत दर्ज की जाएगी और ग्राहक को केवाईसी अपडेशन की तारीख के बारे में सूचित किया जाएगा।
- एमएचएफसीएल किसी भी शाखा में केवाईसी अपडेशन सेवाएं प्रदान कर सकता है।

ख.4 संचार और सूचना प्रक्रिया

एमएचएफसीएल जारी करेगा:

- नियत तारीख से पहले कम से कम तीन अग्रिम सूचनाएं, जिसमें कम से कम एक पत्र द्वारा शामिल है:
 - पहली सूचना: एसएमएस, ईमेल या ऐप अधिसूचना के माध्यम से नियत तारीख से 60 दिन पहले।
 - दूसरी सूचना: एक भौतिक पत्र के माध्यम से नियत तारीख से 30 दिन पहले।
 - तीसरी सूचना: एसएमएस, ईमेल या ऐप अधिसूचना के माध्यम से नियत तारीख से 7 दिन पहले।
- यदि ग्राहक नियत तारीख के बाद अनुपालन करने में विफल रहता है, तो कम से कम तीन अनुस्मारक पत्र द्वारा एक सहित एक पत्र द्वारा:
 - पहला अनुस्मारक: एसएमएस या ईमेल के माध्यम से नियत तारीख के 7 दिन बाद।
 - दूसरा अनुस्मारक: नियत तारीख के 15 दिन बाद एक भौतिक पत्र के माध्यम से।
 - तीसरा अनुस्मारक: एसएमएस, ईमेल या ऐप अधिसूचना के माध्यम से नियत तारीख के 30 दिन बाद।

प्रत्येक संचार में केवाईसी को अपडेट करने के लिए स्पष्ट निर्देश, सहायता के लिए वृद्धि तंत्र और गैर-अनुपालन के परिणाम शामिल होंगे। ऑडिट ट्रेल के लिए सभी संचार रिकॉर्ड किए जाएंगे। 1 जनवरी, 2026 के बाद लागू नहीं किया जाएगा।

ख.5 सीकेवाईसीआर-आधारित केवाईसी अपडेट

एमएचएफसीएल केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) से प्राप्त अपडेट सूचनाओं के आधार पर ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड को अपडेट करेगा। जब भी एमएचएफसीएल अतिरिक्त या अद्यतन जानकारी प्राप्त करता है, तो वह सात दिनों के भीतर सीकेवाईसीआर को अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करेगा।

एमएचएफसीएल केवाईसी और एएमएल नीति

भाग VI - बढ़ी हुई उचित परिश्रम प्रक्रिया

ग. राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों के खाते (पीईपी)

एमएचएफसीएल के पास पीईपी (चाहे ग्राहक या लाभकारी स्वामी के रूप में) के साथ संबंध स्थापित करने का विकल्प होगा, बशर्ते कि सामान्य सीडीडी के अलावा:

- यह निर्धारित करने के लिए उचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली कि ग्राहक या लाभकारी मालिक पीईपी है या नहीं।
- निधियों/धन के स्रोत को स्थापित करने के लिए युक्तियुक्त उपाय।
- खाता खोलने की मंजूरी वरिष्ठ प्रबंधन से प्राप्त की जाएगी।
- ऐसे सभी खातों की निरंतर आधार पर बढ़ी हुई निगरानी की जाती है।
- यदि कोई मौजूदा ग्राहक या लाभकारी मालिक बाद में पीईपी बन जाता है, तो संबंध जारी रखने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन की मंजूरी प्राप्त की जाएगी।

ये निर्देश परिवार के सदस्यों या पीईपी के करीबी सहयोगियों पर भी लागू होंगे।

स्पष्टीकरण: "राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति" (पीईपी) वे व्यक्ति हैं जिन्हें किसी विदेशी देश द्वारा प्रमुख सार्वजनिक कार्यों के साथ सौंपा गया है या सौंपा गया है, जिसमें राज्यों / सरकारों के प्रमुख, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी या न्यायिक या सैन्य अधिकारी, राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के वरिष्ठ अधिकारी और महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के अधिकारी शामिल हैं।

इ. समूह इकाई ग्राहक डेटा का उपयोग

एमएचएफसीएल क्रॉस सेलिंग और/या किसी अन्य उद्देश्य के लिए समूह संस्थाओं के ग्राहक डेटा का उपयोग कर सकता है, बशर्ते कि समूह की प्रत्येक संस्था ने इस संबंध में पहले अपने ग्राहकों से स्पष्ट अनुमोदन प्राप्त किया हो।

अध्याय VII: रिकॉर्ड प्रबंधन

एमएचएफसीएल ग्राहक जानकारी के रखरखाव, संरक्षण और रिपोर्टिंग के संबंध में निम्नलिखित कदम उठाएँ:

- लेन-देन की तारीख से कम से कम पांच वर्षों के लिए एमएचएफसीएल और ग्राहक के बीच घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के लेनदेन के सभी आवश्यक रिकॉर्ड बनाए रखें।
- खाता खोलते समय और व्यावसायिक संबंधों के दौरान प्राप्त ग्राहकों की पहचान और उनके पते से संबंधित रिकॉर्ड को व्यावसायिक संबंध समाप्त होने के बाद कम से कम पांच वर्ष तक सुरक्षित रखें।
- अनुरोध पर सक्षम अधिकारियों को पहचान रिकॉर्ड, व्यावसायिक पत्राचार और लेनदेन डेटा तेजी से उपलब्ध कराएं।
- पीएमएल नियम, 2005 के नियम 3 के तहत निर्धारित लेनदेन के उचित रिकॉर्ड को बनाए रखने की एक प्रणाली शुरू करना, जिसमें शामिल हैं:
 - दस लाख रुपये से अधिक मूल्य के सभी नकद लेनदेन या विदेशी मुद्रा में इसके समतुल्य;
 - एक महीने के भीतर व्यक्तिगत रूप से दस लाख रुपये से कम मूल्य के सभी नकद लेनदेन की श्रृंखला, जहां मासिक कुल दस लाख रुपये से अधिक है;
 - दस लाख रुपये से अधिक मूल्य के गैर-लाभकारी संगठनों द्वारा प्राप्तियों वाले सभी लेनदेन;
 - सभी नकद लेनदेन जहां जाली या नकली मुद्रा नोटों का उपयोग वास्तविक के रूप में किया गया है;
 - सभी संदिग्ध लेनदेन, चाहे नकद में हों या नहीं।
- व्यक्तिगत लेनदेन (प्रकृति, राशि, मुद्रा, तिथि, पार्टियों) के पुनर्निर्माण की अनुमति देने के लिए सभी आवश्यक जानकारी बनाए रखें।
- उचित रखरखाव और संरक्षण के लिए एक प्रणाली विकसित करें जिससे डेटा को आसानी से और जल्दी से पुनर्प्राप्त किया जा सके।
- कठोर या नरम प्रारूप में रिकॉर्ड बनाए रखें।
- सभी जटिल, असामान्य बड़े लेनदेन और असामान्य पैटर्न पर विशेष ध्यान दें, जिसमें कोई स्पष्ट आर्थिक या दृश्यमान वैध उद्देश्य नहीं है। सभी दस्तावेजों/अभिलेखों सहित पृष्ठभूमि की जांच की जाएगी और निष्कर्षों को ठीक से दर्ज किया जाएगा।
- एनपीओ ग्राहकों के मामले में, सुनिश्चित करें कि विवरण नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत हैं और व्यावसायिक संबंध समाप्त होने या खाता बंद होने के बाद पांच वर्ष तक, जो भी बाद में हो, ऐसे रिकॉर्ड बनाए रखें।

नकद लेनदेन सीमा और रिपोर्टिंग पर स्पष्टीकरण

- i. नकद लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए 10 लाख रुपये की सीमा एकल लेनदेन और एकीकृत रूप से जुड़े लेनदेन की एक श्रृंखला दोनों पर लागू होती है।
- ii. 'इंटीग्रली कनेक्टेड ट्रांजैक्शन' का अर्थ है यूसीआईसी द्वारा पहचाने गए सभी खातों और एक ही ग्राहक के ऋणों में सभी नकद लेनदेन, जो एक कैलेंडर महीने के भीतर एकत्रित किए जाते हैं।
- iii. जहां एक ग्राहक (व्यक्तिगत, एचयूएफ, कंपनी, साझेदारी, या कोई अन्य व्यक्ति) विभिन्न ऋण खातों में कई नकद भुगतान करता है, तो ऐसे सभी भुगतानों को ग्राहक के यूसीआईसी के तहत यह निर्धारित करने के उद्देश्य से एकत्रित किया जाएगा कि क्या 10 लाख रुपये की सीमा का उल्लंघन हुआ है।
- iv. एकत्रीकरण में ईएमआई भुगतान, पूर्व-भुगतान, आंशिक भुगतान, फौजदारी राशि, मार्जिन मनी जमा, प्रसंस्करण शुल्क भुगतान और ग्राहक से किसी भी अन्य नकद प्राप्तियों के लिए नकद रसीदें शामिल होंगी।
- v. नकद लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) अगले महीने की 15 तारीख तक एफआईयू-आईएनडी को मासिक रूप से दाखिल की जाएगी।
- vi. जाली मुद्रा रिपोर्ट (सीसीआर) भी अगले महीने की 15 तारीख तक दाखिल की जाएगी, जहां जाली या नकली नोटों का पता चला है।

- vii. प्रधान अधिकारी मासिक सारांश पर हस्ताक्षर करेंगे और समय पर फाइलिंग सुनिश्चित करेंगे। लेखा परीक्षकों और निरीक्षकों को प्रस्तुत करने के लिए सीटीआर की एक प्रति संबंधित शाखा में रखी जाएगी।

इस अध्याय को दस्तावेजों के संरक्षण, ग्राहक दस्तावेजों के प्रतिधारण और अभिलेखों के विनाश पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के संयोजन में पढ़ा जाना चाहिए।

अध्याय VIII: एफआईयू-आईएनडी को रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ

एमएचएफसीएल निदेशक, वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी) को उसके नियम 7 के संदर्भ में पीएमएल नियमों के नियम 3 में निर्दिष्ट जानकारी प्रस्तुत करेगा।

1. नकद लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर)

- प्रत्येक महीने के लिए सीटीआर अगले महीने की 15 तारीख तक एफआईयू-आईएनडी को प्रस्तुत किया जाएगा।
- सभी नकद लेनदेन, जहां जाली या नकली भारतीय मुद्रा नोटों का उपयोग किया गया है, अगले महीने की 15 तारीख तक सीसीआर प्रारूप में रिपोर्ट किया जाएगा।
- पचास हजार रुपये से कम के व्यक्तिगत लेनदेन का विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
- सीटीआर में केवल एमएचएफसीएल द्वारा अपने ग्राहकों की ओर से किए गए लेनदेन शामिल होंगे।
- प्रधान अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक सारांश एफआईयू-आईएनडी को प्रस्तुत किया जाएगा।
- लेखा परीक्षकों/निरीक्षकों को प्रस्तुत करने के लिए शाखाओं में मासिक सीटीआर की एक प्रति उपलब्ध होगी।

2. संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर)

- एमएचएफसीएल को पीएमएलए नियमों में निहित संदिग्ध लेनदेन की परिभाषा द्वारा निर्देशित किया जाएगा।
- एसटीआर प्रस्तुत करने के तथ्य को सख्ती से गोपनीय रखा जाएगा।
- प्रयास किए गए लेनदेन को एसटीआर में भी रिपोर्ट किया जाएगा, चाहे राशि कुछ भी हो।
- एसटीआर दायर किए जाएंगे यदि यह मानने के लिए उचित आधार है कि लेन-देन में अपराध की आय शामिल है, चाहे राशि कुछ भी हो।
- एसटीआर इस निष्कर्ष पर पहुंचने के सात दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा कि कोई भी लेनदेन संदिग्ध है।
- एमएचएफसीएल उन खतों में परिचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा जहां एसटीआर दाखिल किया गया है।

रिपोर्ट करने या सुधारने में प्रत्येक दिन की देरी एक अलग उल्लंघन का गठन करेगी।

जब लेन-देन जोखिम वर्गीकरण के साथ असंगत होते हैं तो मजबूत सॉफ्टवेयर थ्रॉइंग अलर्ट तैनात किए जाएंगे और ग्राहक प्रोफाइल को अपडेट किया जाएगा।

3. गैर-लाभकारी संगठन रिपोर्ट

10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के एनपीओ द्वारा प्राप्तियों वाले सभी लेनदेन निर्धारित प्रारूप में अगले महीने की 15 तारीख तक मासिक रूप से एफआईयू-आईएनडी को प्रस्तुत किए जाएंगे।

अध्याय IX: आतंकवाद के वित्तपोषण और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का मुकाबला करना

1. यूएपीए, 1967

एमएचएफसीएल यह सुनिश्चित करेगा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) (यूएपीए) अधिनियम, 1967 की धारा 51ए और उसमें संशोधन के अनुसार, उनके पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध सूची में दिखाई देने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं के नाम पर कोई खाता नहीं है:

- "आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची" (प्रस्ताव 1267/1989/2253)।
- "तालिबान प्रतिबंध सूची" (संकल्प 1988 (2011))।

एमएचएफसीएल आतंकवाद की रोकथाम और दमन (सुरक्षा परिषद के संकल्पों का कार्यान्वयन) आदेश, 2007 की अनुसूचियों की सूचियों का भी उल्लेख करेगा। इन सूचियों को दैनिक आधार पर सत्यापित किया जाएगा और सावधानीपूर्वक अनुपालन के लिए किसी भी संशोधन को ध्यान में रखा जाएगा।

किसी भी व्यक्ति/संस्था से मिलते-जुलते खातों का विवरण एफआईयू-आईएनडी और एमएचए को सूचित किया जाएगा। धारा 51 ए के तहत संपत्ति को फ्रीज करने की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाएगा।

2. डब्ल्यूएमडी अधिनियम, 2005

एमएचएफसीएल सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेगा:

- उन लेन-देन को अंजाम नहीं देगा जहां विवरण निर्दिष्ट सूची से मेल खाते हैं।
- संबंध स्थापित करने के समय और समय-समय पर जांच चलाएगा।
- मिलान के मामले में, तुरंत केंद्रीय नोडल अधिकारी (सीएनओ), राज्य नोडल अधिकारी और आरबीआई को सूचित करें। एफआईयू-आईएनडी के साथ STR फाइल करें।
- मिलान किए गए व्यक्तियों/संस्थाओं को बिना किसी देरी के सीएनओ को सूचित करने के तहत वित्तीय लेनदेन करने से रोकेगा।
- बिना किसी देरी के सीएनओ से प्राप्त किसी भी फ्रीज आदेश का पालन करेगा।
- आदेश के पैराग्राफ 7 के अनुसार अनफ्रीजिंग का पालन किया जाएगा।

3. यूएनएससीआर 1718 प्रतिबंध सूची

एमएचएफसीएल हर दिन <https://www.mea.gov.in/Implementation-of-UNSC-Sanctions-DPRK.htm> पर उपलब्ध 'यूएनएससीआर 1718 नामित व्यक्तियों और संस्थाओं की प्रतिबंध सूची' को सत्यापित करेगा और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया आदेश, 2017 पर सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के कार्यान्वयन का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

इसके अलावा, एमएचएफसीएल यूएपीए, 1967 की पहली और चौथी अनुसूची में अन्य यूएनएससीआर और सूचियों को ध्यान में रखेगा।

एमएचएफसीएल किसी भी अंतरराष्ट्रीय या अंतर-सरकारी संगठन, जिसका भारत सदस्य है और केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है, द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाने पर जवाबी उपाय करेगा।

अध्याय X: अन्य निर्देश

1. ग्राहक जानकारी की गोपनीयता

एमएचएफसीएल संविदात्मक संबंध से उत्पन्न होने वाली ग्राहक जानकारी के संबंध में गोपनीयता बनाए रखेगा। खाता खोलने के लिए एकत्र की गई जानकारी को गोपनीय माना जाएगा और स्पष्ट अनुमति के बिना क्रॉस सेलिंग या किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रकट नहीं किया जाएगा।

गोपनीयता नियम के अपवाद:

- जहां प्रकटीकरण कानून की बाध्यता के अधीन है।
- जहां जनता का खुलासा करना कर्तव्य हो।
- जहां एमएचएफसीएल के हित के प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है।
- जहां प्रकटीकरण ग्राहक की स्पष्ट या निहित सहमति से किया जाता है।

2. सीडीडी प्रक्रिया और सीकेवाईसीआर के साथ केवाईसी जानकारी साझा करना

एमएचएफसीएल 'व्यक्तियों' और 'कानूनी संस्थाओं' के लिए केवाईसी टेम्पलेट्स के अनुसार सीकेवाईसीआर के साथ साझा करने के लिए केवाईसी जानकारी प्राप्त करेगा।

- खाता-आधारित संबंध शुरू होने के 10 दिनों के भीतर ग्राहक के केवाईसी रिकॉर्ड अपलोड करें।
- 1 अप्रैल, 2021 को या उसके बाद खोले गए एलई से संबंधित केवाईसी रिकॉर्ड अपलोड करें।
- एक बार उत्पन्न होने के बाद व्यक्ति/LE को केवाईसी पहचानकर्ता के बारे में बताएं।
- समय-समय पर अपडेशन के समय पुराने खातों से संबंधित केवाईसी डेटा अपलोड/अपडेट करें।
- जब भी अतिरिक्त या अद्यतन जानकारी प्राप्त होती है, तो सात दिनों के भीतर सीकेवाईसीआर को प्रस्तुत करें।
- आवधिक अद्यतन के दौरान सुनिश्चित करें कि ग्राहकों को वर्तमान सीडीडी मानक में माइग्रेट किया गया है।

जहां कोई ग्राहक सीकेवाईसीआर से डाउनलोड करने की सहमति के साथ केवाईसी पहचानकर्ता जमा करता है, एमएचएफसीएल ऑनलाइन रिकॉर्ड प्राप्त करेगा और ग्राहक को इसे फिर से जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक: जानकारी में कोई बदलाव न हो; रिकॉर्ड अधूरा है या वर्तमान नहीं है; वैधता समाप्त हो गई है; या एमएचएफसीएल सत्यापन या बड़ी हुई उचित परिश्रम के लिए इसे आवश्यक मानता है।

स्पष्टीकरण: जिस आरई ने सीकेवाईसीआर में ग्राहक के केवाईसी रिकॉर्ड को अंतिम बार अपलोड या अपडेट किया है, वह पहचान और/या पते की पुष्टि के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसे रिकॉर्ड डाउनलोड करने और उन पर भरोसा करने वाले किसी भी एनबीएफसी को फिर से सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते रिकॉर्ड वर्तमान और अनुपालन वाले हों।

3. विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी)

व्यक्तिगत ग्राहकों के साथ-साथ मौजूदा ग्राहकों के साथ नए संबंध बनाते समय एक यूसीआईसी आवंटित किया जाएगा। एमएचएफसीएल अपने विकल्प पर सभी वॉक-इन/कभी-कभार ग्राहकों को यूसीआईसी जारी नहीं कर सकता है, बशर्ते कि बार-बार आने वाले ग्राहकों की पहचान करने और उन्हें यूसीआईसी आवंटित करने के लिए पर्याप्त तंत्र मौजूद हो।

4. नई प्रौद्योगिकियों का परिचय

एमएचएफसीएल नए उत्पादों, नई व्यावसायिक प्रथाओं, नए वितरण तंत्र और नई या विकासशील प्रौद्योगिकियों के उपयोग के संबंध में उत्पन्न होने वाले एमएल/टीएफ जोखिमों की पहचान और आकलन करेगा। एमएचएफसीएल यह सुनिश्चित करेगा:

- ऐसे उत्पादों, प्रथाओं, सेवाओं, प्रौद्योगिकियों के लॉन्च या उपयोग से पहले एमएल/टीएफ जोखिम आकलन।
- उचित ईडीडी उपायों और लेनदेन निगरानी के माध्यम से जोखिमों को प्रबंधित करने और कम करने के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाना।

5. एमएचएफसीएल केवाईसी और एमएल नीति

आयकर नियम 114बी के प्रावधानों के अनुसार लेन-देन करते समय पैन या उसके समकक्ष ई-दस्तावेज प्राप्त और सत्यापित किए जाएंगे। फॉर्म 60 उन व्यक्तियों से प्राप्त किया जाएगा जिनके पास पैन नहीं है।

6. ग्राहकों को संवेदनशील बनाना

एमएचएफसीएल ग्राहक को एएमएल/सीएफटी आवश्यकताओं के उद्देश्यों के बारे में शिक्षित करने के लिए विशिष्ट साहित्य/पैम्फलेट तैयार करेगा, जिसके लिए उनका सहयोग मांगा जाता है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए फ्रंट डेस्क स्टाफ को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा।

7. कर्मचारियों की भर्ती और कर्मचारी प्रशिक्षण

- कार्मिक भर्ती/भर्ती प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग के रूप में अपने कर्मचारी/कर्मचारियों को जानो नीति सहित पर्याप्त जांच तंत्र स्थापित किया जाएगा।
- नियमित अंतराल (द्वि-वार्षिक) पर मौजूदा कर्मचारियों की जांच मानव संसाधन विभाग द्वारा की जाएगी और परिणाम अनुपालन विभाग के साथ साझा किए जाएंगे।
- एमएचएफसीएल यह सुनिश्चित करेगा कि केवाईसी/एमएल/सीएफटी से निपटने वाले कर्मचारियों के पास उच्च ईमानदारी, नैतिक मानक, केवाईसी/एमएल/सीएफटी की अच्छी समझ, प्रभावी संचार कौशल और बदलते परिदृश्य के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता हो।
- चालू कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किया जाएगा। फ्रंटलाइन स्टाफ, अनुपालन स्टाफ और नए ग्राहकों से निपटने वाले कर्मचारियों के लिए फोकस अलग-अलग होगा।
- प्रभावी अनुपालन मार्गदर्शन के लिए ईमेल और पोर्टल के माध्यम से नियमित संचार उपलब्ध कराया जाएगा।

8. प्रौद्योगिकी आवश्यकताएँ

एमएचएफसीएल द्वारा तैनात एएमएल सॉफ्टवेयर सभी नकद और प्रासंगिक लेनदेन को कैप्चर करने के लिए पर्याप्त व्यापक और मजबूत होगा। जब लेन-देन जोखिम वर्गीकरण के साथ असंगत होते हैं तो मजबूत सॉफ्टवेयर थ्रोज़िंग अलर्ट को प्रभावी पहचान और रिपोर्टिंग के हिस्से के रूप में तैनात किया जाएगा।

अनुलग्नक I: डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया

एमएचएफसीएल डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया के लिए एक एप्लिकेशन विकसित करेगा जिसे ग्राहक संपर्क बिंदुओं पर उपलब्ध कराया जाएगा। केवाईसी प्रक्रिया केवल इस प्रमाणित एप्लिकेशन के माध्यम से की जाएगी।

- (i) आवेदन को केवल लॉगिन-आईडी और पासवर्ड, या लाइव ओटीपी या अधिकृत अधिकारियों को दिए गए टाइम ओटीपी नियंत्रित तंत्र के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।
- (ii) केवाईसी के प्रयोजन के लिए ग्राहक अधिकृत अधिकारी के स्थान पर जाएगा या इसके विपरीत। मूल ओवीडी ग्राहक के कब्जे में होगा।
- (iii) एमएचएफसीएल यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक की लाइव तस्वीर अधिकृत अधिकारी द्वारा ली गई है और ग्राहक आवेदन पत्र (सीएएफ) में एम्बेडेड है। सिस्टम सीएएफ नंबर, जीपीएस निर्देशांक, अधिकृत अधिकारी का नाम, अद्वितीय कर्मचारी कोड, दिनांक (डीडी: एमएम: वाईवाईवाईवाई) और टाइम स्टैम्प (एचएच: एमएम: एसएस) के साथ पठनीय रूप में एक वॉटरमार्क लगाएगा।
- (iv) एप्लिकेशन में यह सुविधा होगी कि ग्राहक की केवल लाइव तस्वीर कैप्चर की जाए और कोई मुद्रित या वीडियो-ग्राफ की गई तस्वीर स्वीकार नहीं की जाए। पृष्ठभूमि सफेद रंग की होनी चाहिए और कोई अन्य व्यक्ति फ्रेम में नहीं आएगा।
- (v) मूल ओवीडी की लाइव तस्वीर या आधार के कब्जे का प्रमाण (क्षैतिज रूप से रखा गया) वॉटरमार्किंग के साथ ऊपर से लंबवत रूप से कैप्चर किया जाएगा। मोबाइल डिवाइस में कोई तिरछा या झुकाव नहीं होगा।
- (vi) लाइव तस्वीरों को उचित प्रकाश में कैप्चर किया जाएगा ताकि वे स्पष्ट रूप से पठनीय और पहचाने जाने योग्य हों।
- (vii) सीएएफ में सभी प्रविष्टियां दस्तावेजों और प्रस्तुत जानकारी के अनुसार भरी जाएंगी। जहां क्यूआर कोड उपलब्ध है, वहां स्कैनिंग द्वारा विवरण को ऑटो-पॉप्युलेट किया जा सकता है।
- (viii) पूरा होने पर, ग्राहक के अपने मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। सफल सत्यापन पर, इसे सीएएफ पर ग्राहक के हस्ताक्षर के रूप में माना जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी के मोबाइल नंबर का उपयोग ग्राहक हस्ताक्षर के लिए नहीं किया जाएगा।
- (ix) प्राधिकृत अधिकारी अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी के साथ सत्यापित एक घोषणा प्रदान करेगा। अधिकृत अधिकारी की लाइव तस्वीर भी खींची जाएगी।
- (x) एप्लिकेशन एक लेनदेन-आईडी/संदर्भ-आईडी संख्या उत्पन्न करेगा। प्राधिकृत अधिकारी भविष्य के संदर्भ के लिए ग्राहक को विवरण की सूचना देगा।
- (xi) अधिकृत अधिकारी यह सत्यापित करेगा कि: (i) दस्तावेज में दी गई जानकारी सीएएफ से मेल खाती है; (ii) लाइव फोटोग्राफ दस्तावेज में फोटो से मेल खाता है; और (iii) अनिवार्य क्षेत्रों सहित सभी आवश्यक विवरण ठीक से भरे गए हैं।
- (xii) सफल सत्यापन पर, सीएएफ पर अधिकृत अधिकारी द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे, जो एक प्रिंट लेगा, ग्राहक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान प्राप्त करेगा, फिर उसे स्कैन और अपलोड करेगा। मूल हार्ड कॉपी ग्राहक को वापस की जा सकती है।

अनुलग्नक II: जोखिम श्रेणियाँ

	कम जोखिम वाला ग्राहक	मध्यम जोखिम वाले ग्राहक	उच्च जोखिम वाला ग्राहक
परिभाषा	(क) ग्राहक पसंद करते हैं वेतनभोगी लोग- (ख) स्वयं की तरह ग्राहक - नौकरीपेशा लोग लोअर से संबंधित समाज का आर्थिक स्तर जिसका लेखा- जोखा छोटा दिखाई देता है। शेष राशि (ग) जिसमें केवल ग्राहक बुनियादी की आवश्यकताएं पहचान और स्थान की पुष्टि को पूरा करना है।	उच्च जोखिम वाले ग्राहकों की तुलना में प्रकृति में कम जोखिम वाले ग्राहकों को मध्यम जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।	जिन ग्राहकों को औसत से अधिक जोखिम होने की संभावना है, उन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है ग्राहक की पृष्ठभूमि, प्रकृति और गतिविधि के स्थान के आधार पर मध्यम या उच्च जोखिम, देश उत्पत्ति, धन के स्रोत और उसके ग्राहक प्रोफाइल, आदि।

जोखिम श्रेणी के अनुसार ग्राहकों की सूची	(क) वेतनभोगी कर्मचारी जिनका वेतन संरचनाएं अच्छी तरह से परिभाषित हैं, (ख) वेतनभोगी नकदी वाले कर्मचारी वेतन संरचनाएं (ग) स्व-नियोजित लोग जो समाज के निचले आर्थिक स्तर से संबंधित हैं। किसके खाते दिखाते हैं छोटे बैलेंस और कम टर्नओवर, (घ) सरकार विभाग और सरकार के स्वामित्व में कंपनियां, नियामक और वैधानिक निकाय, आदि। (ङ) सूक्ष्म/लघु/मध्यम उद्यम दाखिल करना नियमित आईटीआर, अच्छा बैंकिंग संबंध, मौजूदा व्यापार रिकॉर्ड किसी भी वित्तीय के साथ संस्थाएं आदि।	(क) ग्राहक से अधिक रु. 50 का निवेश लाख जहां पहचान और धन के स्रोत हैं जनता द्वारा समर्थित नहीं आय जैसे दस्तावेज विवरणी, पंजीकृत कन्वेयंस डीड आदि। (ख) बिना वॉल्यूम या निवेश में अचानक उछाल वाले ग्राहक स्पष्ट कारण। (ग) ग्राहक जो व्यापार करते हैं डेरिवेटिव। (घ) ग्राहक सट्टा आया। (ङ) में व्यक्ति व्यापार/उद्योग या व्यापारिक गतिविधि जहां का दायरा या इतिहास गैरकानूनी व्यापार / व्यावसायिक गतिविधि लेन-देन अधिक है, आदि।	(क) अनिवासी ग्राहकों, (ख) ट्रस्ट, दान, गैर सरकारी संगठन और संगठनों दान प्राप्त करना, (ग) करीबी पारिवारिक शेयरधारिता या लाभकारी स्वामित्व वाली कंपनियां, (घ) फर्मों के साथ 'स्लीपिंग पार्टनर्स', (ङ) राजनीतिक रूप से उजागर के व्यक्ति (पीईपी) विदेशी मूल, (च) आमने-सामने न ग्राहक, और (छ) संदिग्ध प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध, आदि।
--	--	---	---

अनुलग्नक III: संदिग्ध लेन-देन की सांकेतिक सूची

क. आवास ऋण से संबंधित संदिग्ध लेनदेन

- ग्राहक की कानूनी संरचना को कई बार बदला गया है (नाम परिवर्तन, स्वामित्व का हस्तांतरण, कॉर्पोरेट सीट का परिवर्तन)।
- अनावश्यक रूप से जटिल ग्राहक संरचना।
- व्यक्तिगत या लेनदेन के वर्ग जो स्थापित व्यावसायिक प्रोफाइल के बाहर होते हैं।
- ग्राहक सूचना, डेटा, दस्तावेज प्रदान करने के लिए अनिच्छुक है।
- झूठे दस्तावेज, आंकड़े, ऋण का उद्देश्य, खातों का विवरण प्रस्तुत करना।
- धन के स्रोत का विवरण प्रस्तुत करने से इनकार करता है जिसके द्वारा प्रारंभिक योगदान किया जाता है; धन के स्रोत संदिग्ध हैं।
- व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए अनिच्छुक; पर्याप्त कारणों के बिना किसी तीसरे पक्ष/पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के माध्यम से प्रतिनिधित्व करता है।
- बिना किसी वैध कारण के ग्राहक के आवासीय या व्यावसायिक पते से दूर किसी शाखा/कार्यालय से संपर्क करता है (यदि शाखा उसी शहर में है या जहां ग्राहक ऐसे शहर में संपत्ति प्राप्त कर रहा है, यानी एमएचएफसीएल द्वारा परिभाषित भू-सीमा के भीतर)।
- खाते के विवरण या एकाधिक खातों में कई स्थानान्तरणों की व्याख्या करने में असमर्थ।
- उचित औचित्य के बिना असंबंधित तृतीय पक्ष खातों के माध्यम से किया गया प्रारंभिक योगदान।
- अंतिम उपयोग के उचित औचित्य के बिना टॉप-अप ऋण और/या इक्विटी ऋण प्राप्त करना।
- ऋण की स्वीकृति के लिए संदिग्ध साधनों का सुझाव देना।
- ऐसे लेन-देन जिनका आर्थिक अर्थ न हो।
- ऋण के वास्तविक लाभार्थी और खरीदी जाने वाली संपत्ति पर उचित संदेह।
- काल्पनिक बैंक खाता खोलकर ऋण राशि का नकदीकरण।
- ऋण के लिए आवेदन करना यह जानते हुए कि संपत्ति को पहले वित्त पोषित किया गया है और बकाया है।
- करार में उल्लिखित विक्रय प्रतिफल क्षेत्र में प्रचलित विक्रय प्रतिफल से असामान्य रूप से अधिक/कम है।
- एक ही संपत्ति/आवासीय इकाई का एकाधिक वित्तपोषण।
- किसी ऐसे तृतीय पक्ष के पक्ष में भुगतान के लिए अनुरोध जिसका लेन-देन से कोई संबंध नहीं है।
- ऋण राशि का उपयोग विक्रेता/बिल्डर/डेवलपर/ब्रोकर के साथ मिलकर निर्धारित उद्देश्यों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाना।
- गैर-सरकारी संगठनों/धर्मार्थ संगठनों/एसएमई/एसएचजी/एमएफजी को शामिल करते हुए बहुविध वित्तपोषण/वित्तपोषण।
- पता बदलने के लिए बार-बार अनुरोध।
- अधिक भुगतान की गई राशि को वापस करने के अनुरोध के साथ किशतों का अधिक भुगतान।
- अचल संपत्ति में निवेश अपेक्षा से अधिक / कम कीमत पर।
- ग्राहक उन देशों में शामिल है जो वाहक शेरों की अनुमति देते हैं।

ख. बिल्डर/परियोजना ऋण से संबंधित संदिग्ध लेनदेन

- परियोजना की कुल लागत की तुलना में एक छोटे से ऋण के लिए बिल्डर आ रहा है।
- बिल्डर परियोजना के लिए धन के स्रोतों की व्याख्या करने में असमर्थ।
- विभिन्न प्राधिकरणों से अनुमोदन/मंजूरी फर्जी साबित हुई है।
- ऐसा प्रतीत होता है कि प्रबंधन अज्ञात या अनुपयुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) के निर्देशों के अनुसार कार्य कर रहा है।

कर्मचारी सूचना या संरचना व्यवसाय के आकांक्षी प्रकृति के साथ असंगत है।

- पर्याप्त केंद्रीकृत कॉर्पोरेट निरीक्षण के बिना बहु-क्षेत्राधिकार संचालन वाले ग्राहक।
- स्वामित्व या वास्तविक आर्थिक उद्देश्य को अस्पष्ट करने के लिए कानूनी व्यवस्था स्थापित करने के बारे में सलाह।
- ऐसी संस्थाएं जिनके पास नकद या आसानी से हस्तांतरणीय परिसंपत्तियों में उच्च स्तर का लेन-देन होता है।

गुप-वाइड धन शोधनधन शोधन निवारण (एएमएल) नीति

धन शोधन निवारण (पीएमएल) अधिनियम, 2002 के अनुसार और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप, एमएचएफसीएल, अपनी आरबीआई-विनियमित समूह संस्थाओं के साथ, धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने के उद्देश्य से एक व्यापक समूह-व्यापी कार्यक्रम लागू करेगा। इस कार्यक्रम में ग्राहक के उचित परिश्रम के लिए आवश्यक जानकारी साझा करने के साथ-साथ धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमों के प्रबंधन के लिए नीतियां शामिल होंगी।

यह कार्यक्रम अनधिकृत प्रकटीकरण या टिपिंग-ऑफ को रोकने के लिए विशिष्ट सुरक्षा उपायों के साथ आदान-प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता और उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सख्त प्रोटोकॉल स्थापित करेगा।

इस नीति के तहत, बोर्ड ने एएमएल समिति को मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को परिभाषित करने और दस्तावेज करने के लिए अधिकृत किया है जो समूह-व्यापी एएमएल कार्यक्रम के निष्पादन का मार्गदर्शन करेगा।

आरबीआई-विनियमित समूह संस्थाओं के बीच सूचना साझा करने के लिए निम्नलिखित व्यापक दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा:

- (i) मुथूट पप्पचन समूह के सभी आरई लेनदेन, खातों, ग्राहक विवरण से संबंधित जानकारी एक-दूसरे के बीच साझा करेंगे, जिन्हें संदिग्ध माना जाता है या एमएल या टीएफ के परिप्रेक्ष्य से वर्जित किया जाता है, इस तरह से और ऐसे सुरक्षा उपायों के साथ जो संबंधित एएमएल समिति द्वारा तय किए जा सकते हैं।
- (ii) ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर, प्रत्येक आरई यह सुनिश्चित करेगा कि सूचना को सख्त विश्वास में लिया जाए और इसका उपयोग केवल एमएल और/या टीएफ से संबंधित लेनदेन का पता लगाने के उद्देश्य से किया जाए।

जानकारी कैसे साझा करें:

जब एएमएल समिति सीटीआर/एसटीआर के तहत किसी भी मामले की रिपोर्ट करने का निर्णय लेती है, तो निम्नलिखित जानकारी समूह के सभी आरई के साथ साझा की जाएगी:

- लेन-देन की प्रकृति।
- जिन कारणों से सीटीआर/एसटीआर के तहत रिपोर्ट करने का निर्णय लिया गया।
- न्यूनतम व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी (पीआईआई) डेटा समूह निकाय द्वारा यह पता लगाने के लिए आवश्यक है कि क्या उसका एक ही ग्राहक पर कोई एक्सपोजर है।

प्रधान अधिकारी समूह के सभी आरई के पीओ को पूरे विश्वास के साथ जानकारी देंगे।

नीति की समीक्षा

प्रबंधन द्वारा एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार इस नीति की समीक्षा की जाएगी और संशोधन, यदि कोई आवश्यक हो, बोर्ड के अनुमोदन के लिए लिया जाएगा। यदि विनियमों में कोई संशोधन होता है, तो नियामक द्वारा संशोधनों को अधिसूचित किए जाने के तुरंत बाद नीति में संशोधन बोर्ड की मंजूरी के लिए किया जाएगा।

नोट: इस पॉलिसी में पैराग्राफ संदर्भ नवीनतम आरबीआई मास्टर डायरेक्शन – नो योर कस्टमर (केवाईसी) डायरेक्शन, 2016 (12 जून, 2025 तक अपडेट किया गया), समय-समय पर अपडेट किया जाता है।